रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 583] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 7, 2006/अग्रहायण 16, 1928
No. 583] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 7, 2006/AGRAHAYANA 16, 1928

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2006

सा.का.नि. 740(अ).—पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 95 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

अध्याय-1

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार विनियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**–(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो-

(क) "अधिनियम" से पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 200 अभिप्रेत है ;

(ख) "करार देश" से ऐसा देश अभिप्रेत है जिसने बौद्धिक संपदा अधिकार या पौधा किस्म संरक्षण पर भारत गणराज्य से कोई करार किया है ;

(ग) "आवेदक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने पौधा किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकरण को आवेदन किया है ;

(घ) "प्ररूप" से विनियम से उपाबद्ध कोई प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ङ) "जनरल" से भारतीय पौधा किस्म जनरल अभिप्रेत है ;

(च) "पैतृक वंश क्रम" से अव्यवहित पैतृक अंतप्रजात वंशक्रम या संकर की हाईब्रिड की 'क वंशक्रम', 'ख वंश क्रम' और 'द वंश क्रम' अभिप्रेत है ;

(छ) "नियमों" से पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 अभिप्रेत है ; और

(ज) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;

(2) सभी अन्य शब्द और पद जो, विनियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित है वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में है ।

अध्याय-2

रजिस्ट्रार के कर्त्तव्य और अधिकारिता

3. रजिस्ट्रार के कर्त्तव्य.–

(1) रजिस्ट्रार अपने कर्तव्यों का निर्वहन महारजिस्ट्रार के निरीक्षण और निदेशन के अधीन करेगा ।

(2) रजिस्ट्रार, धारा 14 के अधीन किसी किस्म के रजिस्ट्रेशन के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर, धारा 20 के अधीन उसकी परीक्षा करेगा और यह विनिश्चित करेगा कि आवेदन स्वीकार होगा या उसे नामंजूर किया जाए या संशोधनो या निर्बन्धनों की अपेक्षाओं के अधीन उसे स्वीकार किया जाए ।

(3) रजिस्ट्रार, आवेदक को आवेदन पत्र के संशोधन करने का अवसर देगा और आवेदन को नामंजूर करने से पहले उसे सुने जाने का अधिकार होगा ।

(4) रजिस्ट्रार को किसी किस्म को विशेष परिस्थितियों के अधीन उसका अभिधान जिसमें उसका भौगोलिक नाम हो, को रजिस्टर करने की शक्ति होगी ।

(5) रजिस्ट्रार प्राधिकरण के अनुमोदन के परामर्श के साथ और अनुमोदन के साथ और अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्मों के रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्व अपेक्षित बैठकों के अध्यधीन और रजिस्ट्रीकरण को सुकर बनाएगा ।

(6) रजिस्ट्रार, अधिनियम के अधीन किसी किस्म के रजिस्ट्रीकरण पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(7) रजिस्ट्रार, यह समाधान हो जाने पर रजिस्टर या रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र में, अभिधानों, आवेदन, समनुदेशिती, प्राधिकृत अभिकर्ताओं, विधिक प्रतिनिधियों और उत्तराधिकारियों के नामों, पतों में परिवर्तन करने और लिपिकीय त्रुटि में संशोधन करने को, इस प्रभाव का लिखित निवेदन की प्राप्ति पर अनुज्ञात कर सकेगा ।

(8) रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों के विनिश्चय में फाइल किए गए विरोध पर विचार करेगा ।

(9) रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय पौधा किस्म रजिस्ट्री और अभिकर्ताओं तथा अनुज्ञप्तधारियों के साथ-साथ उनके रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा और हकदारी तथा शर्तें और उन्हें समय-समय पर अद्यतन करेगा ।

(10) रजिस्ट्रार, समुचित साक्ष्य प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर संबद्ध व्यक्ति को अंतिम विनिश्चिय देने से पहले सुनवाई का उचित अवसर देते हुए रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों को, प्राधिकरण से परामर्श के पश्चात्, जब कभी अपेक्षित हो, अंतिम निष्कर्ष देने से पहले, निरस्त या परिवर्तित करेगा ।

(11) रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र या पौधा किस्म रजिस्टर के किसी भाग या पूर्ण की प्रतियां इस प्रभाव के लिखित आवेदन की प्राप्ति पर जारी करने की शक्ति होगी इसके अतिरिक्त लिखित अनुरोध पर पौधा किस्म रजिस्टर के निरीक्षण को भी अनुज्ञात कर सकेगा ।

(12) रजिस्ट्रार किसी पक्षकार को किसी कार्रवाई में उसके लिखित अनुरोध पर और समाधानप्रद सबूत देने पर कि इसमें उस व्यक्ति का हित है, जो इसमें पक्षकार था और उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसने इस व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया है या पक्षकार बना सकेगा ।

(13) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में किए गए परिवर्तनों को राजपत्र या जनरल में विज्ञापित करेगा ।

4. **अधिकारिता** - रजिस्ट्रार फसल और क्षेत्र के संबंध में समय-समय पर प्राधिकरण के आदेशों के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर अधिकारिता होगी । संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और अन्य तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारिवृंद उसकी सहायता करेंगे ।

5. **रजिस्ट्रार की पदावधि और सेवा की शर्तें** - (1) कोई व्यक्ति जिन्हें पौधा किस्म संरक्षण प्रणाली की पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान और कृषि विज्ञान (पौधा प्रजनन और जननिक, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि वनस्पति आदि में विशेषज्ञता सहित) या वानिकी में या संबंधित विषय में परास्नातक हो, प्राधिकरण में रजिस्ट्रार का पद धारण करने के लिए पात्र होगा । रजिस्ट्रार को अन्य विभागों या संगठनों से प्रतिनियुक्ति और आमेलन के आधार पर लिया जा सकेगा ।

(2) रजिस्ट्रार के वेतन और अन्य भत्ते जिसके अंतर्गत पेंशन, छुट्टी, यात्रा और दैनिक भत्तों को नियत करने के लिए मूल नियम संशोधन सेवा छुट्टी नियम, 1972 और केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972 का अनुपालन करेगा । प्राधिकरण, रजिस्ट्रार और अन्य प्राधिकरण के स्टाफ के कैरियर संवर्धन और प्रोन्नति के लिए विशेष नीति या नियम या विनियम या मार्गनिर्देश बनाने में नमनीयता रखेगा ।

(3) रजिस्ट्रार का पद धारण करने वाला व्यक्ति प्राधिकरण को लिखित में सूचना देकर जो तीन मास से कम नहीं होगी अपना पद त्याग कर सकेगा ।

(4) रजिस्ट्रार की अन्य शर्तें प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इस निमित्त किए गए आदेशों द्वारा विनियमित होंगी ।

अध्याय 3

पौधा किस्मों और अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्मों का रजिस्ट्रीकरण

6. विस्तारित किस्मों के रजिस्ट्रीकरण के लिए मानदंड.–

विस्तारित किस्मों के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपयुक्तता किस्में जिसमें प्राधिकरण द्वारा गठित विद्यमान किस्म सिफारिश समिति द्वारा बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 के अधीन अधिसूचित किया जाएगा । विद्यमान किस्म सिफारिश समिति में सात सदस्य होंगे जिसके अंतर्गत एक कृषक प्रतिनिधि और एक बीज उद्योग प्रतिनिधि और अन्य विषय वस्तु के विशेषज्ञ जो प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे । विद्यमान किस्म सिफारिश समिति की पदावधि तीन वर्ष होगी और प्राधिकरण का रजिस्ट्रार समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा । विद्यमान किस्म सिफारिश समिति की सिफारिशों के आधार पर बीज अधिनियम, 1966 के अधीन अधिसूचित किस्म की विद्यमान किस्म को पौधा किस्म और कृषक अधिकारिता नियम, 2001 की धारा 28 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत होगी । विद्यमान किस्मों के रजिस्ट्रीकरण के लिए सुभिन्नता, एकरूपता और स्थायित्व के मानदंड जाति से जाति भिन्न होंगे और वह पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित होंगे ।

7. **किसी पौधा किस्म के अभिधान का समनुदेशन** - (1) किसी किस्म के लिए को अभिधान के रूप में केवल एक चिन्ह अनुमोदित होगा यदि संबद्ध आवेदक दस्तावेजी साक्ष्य देता है कि संबद्ध चिन्ह के धारक ने ऐसे चिन्ह पर अपने अधिकार का, जिस तारीख को किसी पौधा प्रजनक को ऐसी किस्मों का अधिकार प्रदान किया गया था, त्याग क दिया है ; और

(2) किसी किस्म के लिए रजिस्ट्रार द्वारा अभिधान अनुमोदन जिसके संरक्षण के लिए प्रदान किया गया था, या किसी अभिसमय देश के पदाभिहित प्राधिकार को संरक्षण के लिए आवेदन दिया गया है या किसी करार देश में उस देश में प्रजनक को उसमें प्रवृत्त किसी विधि के अनुसरण में ऐसे अभिधान संरक्षित है या ऐसे देश में ऐसा आवेदन किया गया है, जो भी मामला हो, उपधारा (1) के उपबंधों जब तक कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा साबित नहीं किया जाता है, ऐसा अभिधान पूर्विकता के दावों पर लागू होंगे ।

8. **आवेदक द्वारा समनुदेशित किए गए एकल या विभिन्न अभिधानों की रीति** - (1) अभिधान, जो अधिनियम की धारा 18 के निबंधनों में किसी किस्म के लिए प्रस्तावित है कि -

(क) किस्म की पहचान की उपयुक्तता ;

(ख) हिन्दी या अंग्रेजी के शब्दों या शब्दों का संयोजन और अक्षरों अभिप्रेत है, द्वारा व्यक्त हो ;

(ग) लक्षणों, मूल्य या प्रश्नगत किस्म की पहचान या प्रजनक की पहचान के संबंध में भ्रामक या भ्रमित करने के रूप में ऐसा न हो ;

(घ) प्रत्येक अभिधान से भिन्न जिसे विद्यमान किस्मों की अभिहित समान या इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निकटतम संबंधित प्रजाति किसी अभिसमय देश या किसी करार देश या किस्मों की पहचान के संबंध में जनता में कोई भ्रम उत्पन्न होने की संभावना न हो, को भिन्न करना ;

(ङ) व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के अनुसार उसे संरक्षण प्राप्त किसी चिन्ह को, भ्रम करने या उसके सदृश्य या समान दायी न हो और जिसके लिए प्रचार सामग्री या उसके संबंध में उपयोग या उस उत्पाद के साथ संबंध न हो ; या

(च) लोक व्यवहार के प्रतिकूल या नैतिकता के विरोधी न हो ;

(छ) सभी अभिसमय देशों या करार देशों के समान हो ;

(ज) साधारणतः एकल भौगोलिक नाम या आंशिक भौगोलिक नाम न हो ;

(झ) संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 52) की धारा 3 में अधिकथित किसी प्रयोजन के लिए किसी नाम या संप्रतीक के रूप में उसका उपयोग प्रतिषेध न किया हो ;

(2) इन विनियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी -

(क) जब किसी किस्म का विक्रय या वाणिज्यिक विज्ञापन या प्रस्ताव किया जाता है तो वह किसी सहबद्ध ट्रैडमार्क, ट्रैडनाम या किसी समान पहचान जो लिखित में रजिस्ट्रार को सूचना देने के पश्चात् किसी रजिस्ट्रीकृत किस्म का अभिधान है, के साथ अनुज्ञा होगी ;

(ख) धारा 4 के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी ट्रेडमार्क, ट्रेडनाम या अन्य समान पहचान रजिस्ट्रीकृत किस्म अभिधान के बिना उपयोग नहीं किया जाएगा ।

9. रजिस्ट्रार, अभिधान के प्रयोजन के लिए किसी आवेदन की अपेक्षा समय के भीतर कर सकेगा -

यदि रजिस्ट्रार किसी किस्म के लिए प्रस्तावित अभिधान को अनुपयुक्त विचार करता है, संबद्ध आवेदक को ऐसे निर्देश के प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर रजिस्ट्रार को कोई अन्य अभिधान देगा ।

10. आवेदन का प्ररूप

धारा 14 और धारा 23 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में किया जा सकेगा ।

11. जांच के दौरान बीजों के मूल्यांकन और किस्मों के लिए मानक

अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट किसी किस्म के मूल्यांकन के लिए किए जाने वाले परीक्षण सुभिन्नता के मानदंडों की पुष्टि करेगा, एकरूपता और उपयुक्तता परीक्षण निर्देश, जो पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के जनरल में, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित और अद्यतन, प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित करेगा, की पुष्टि करेंगे और बीजों के मूल्यांकन के लिए मानक धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन या इस प्रभाव के और संशोधनों के रूप में बीज अधिनियम, 1966 जैसे अधिसूचित किए जाएंगे ।

अध्याय 4
बीजों को जमा करना और प्राधिकरण करना

12. प्रजनक द्वारा राष्ट्रीय जीन बैंक में बीजों की मात्रा या प्रवर्धक सामग्री की अपेक्षाओं का जमा करना ।

अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन बीजों की मात्रा या प्रवर्धक सामग्री जिसके अंतर्गत बीजों या परिवर्द्धन सामग्री की ऐसी मात्रा जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत किस्मों की मूल पंक्ति के बीज भी है जिसकी जांच अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (1) के अधीन जमा करने वाले के लिए अपेक्षित है, विनियम 11 के अधीन विनिर्दिष्ट सुभिन्नता, एकरूपता, स्थायित्व जांच के मार्गनिर्देश विनिर्दिष्ट है वह पौधा किस्म और कृषक अधिकार प्राधिकरण के जनरल में प्रकाशित होगा कि जिसे भारत के राजपत्र के समकक्ष समझा जाएगा ।

13. प्राधिकरण के लिए समयसीमा और शर्तें

(1) धारा 28 के उपबंधों के अधीन, किसी रजिस्ट्रीकृत प्रजनक द्वारा धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त कोई प्राधिकार प्ररूप 1क में किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन अधिकथित प्ररूप भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की अपेक्षा के अनुसार गैर न्यायिक स्टांपपत्र में निष्पादित किया जाएगा ।

(3) प्ररूप रजिस्ट्रीकृत प्रजनक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा दो साक्ष्यों की उपस्थिति में सम्यक रूप से अनुप्रमाणित होगा ।

(4) प्ररूप नियमों के अनुसरण में सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत होगा ।

(5) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन कोई प्राधिकार निम्नलिखित शर्तें के अधीन विधिमान्य होगा, अर्थात् :-

(i) रजिस्ट्रीकृत प्रजनक द्वारा प्रदत्त अधिकारों की स्पष्ट रूप से पहचान होगी और उपनियम (1) के अधीन अधिकथित प्ररूप में जांच की जाएगी ;

(ii) प्राधिकार की अवधि उपधारा (1) के अधीन अधिकथित प्ररूप में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट होगी ;

(iii) क्षेत्र की स्पष्ट रूप से पहचान प्ररूप 1 में विनिर्दिष्ट होगी और अधिनियम के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा ।

(6) अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत प्रजनक द्वारा कोई प्राधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् :-

(i) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन सभी प्राधिकार प्ररूप 1क में होगा ।

(ii) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन कोई प्राधिकार विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो, अर्थात् :-

IndiaCode

(क) प्राधिकार किसी गैर न्यायिक स्टांपपत्र पर निष्पादित होना चाहिए ;
(ख) प्राधिकार लिखत रजिस्ट्रीकृत प्रजनक द्वारा या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षिरत होना चाहिए ;
(ग) प्राधिकार लिखत सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए ; और
(घ) प्राधिकार लिखत दो स्वतंत्र साक्षियों द्वारा भी हस्ताक्षरित होना चाहिए ।

(iii) सभी प्राधिकारों में भी विनिर्दिष्ट अधिकार (अधिकारों) की पहचान उसके अंतर्गत होगी और स्पष्ट रूप से अवधि तथा ऐसे प्राधिकारों का सार, अवधि और विस्तार स्पष्ट रूप से अधिकथित होगा ।

[फा. सं. 1-2/2003-एसडी-V]
एस. एल. भट्ट, संयुक्त सचिव (बीज)

प्ररूप 1

(विनियम 10 देखिए)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन नई किस्म, विद्यमान किस्म और कृषक किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(धारा 18 देखिए, अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म से भिन्न)

(आवेदक के लिए अनुदेश : जहां कहीं प्रश्नों के सामने बाक्स बना हो वहाँ कृपया सुसंगत बॉक्स पर सही का चिह्न लगाएँ तथा अन्य प्रश्नों में स्पष्ट लिखित/टंकित उत्तर दें।)

1. **आवेदकों का पहचान :**

- ○ **व्यष्टिक प्रजनक**
- ○ **प्रजनक का उत्तराधिकारी**
- ○ **संस्थागत आवेदक**
- ○ **कृषक**
- ○ **कृषक समुदाय**[1]
- ○ **कृषक समूह**
- ○ **उपरोक्त में से किसी का समनुदेशिती**[2]
- ○ **अभिसमय देश**[3]
- ○ **कोई अन्य**[4]

1. पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरक्षण अधिनियम, 2001 में यथा अन्तर्विष्ट कृषकों या कृषक समुदाय या कृषक समूह द्वारा कृषक किस्म के बारे में आवेदन या तो संबंधित पंचायत जैव विविधता प्रबंध समिति द्वारा या जिला कृषि अधिकारी द्वारा या सम्बन्धित राज्य के कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक, अनुसंधान या जिला जनजाति विकास अधिकारी द्वारा उपाबंध 1 में पृष्ठांकन करने पर ही प्रस्तुत किया जाएगा।
2. समनुदेशिती या आवेदक का विधिक प्रतिनिधि, नियम 27 के अनुसार आवेदन करने के अधिकार का अपेक्षित सबूत प्रस्तुत करेगा।
3. भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना में आवेदक का देश भी आना चाहिए और भारत को ऐसे पारस्परिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। (अधिनियम की धारा 31 देखिए)
4. सहभागी पौधा प्रजनन से विकसित सामग्री के लिए, ऐसे दस्तावेज संलग्न कीजिए जो कृषक और पौधा प्रजनक के बीच किए गए व्यवहार को स्पष्ट रूप से दर्शाए।

आवेदक (आवेदकों) का/के नाम और राष्ट्रीयता

(क) (प्राकृतिक व्यक्ति की दशा में) : यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पंक्तियाँ डालें,

1. **क्रम संख्या**
2. **नाम[3]**
3. **पूरा पता**
4. **राष्ट्रीयता**

[3]यदि आवेदक कृषक समुदाय या कृषक समूह का प्राधिकृत प्रतिनिधि है तो समूह के सभी सदस्यों या आवेदक का पहचान 'कृषक समुदाय' संलग्न हो तो समुदाय के प्रधान/पदाधिकारी द्वारा दो व्यक्तियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित प्ररूप तफ–1 में प्राधिकार संलग्न किया जाएगा।

(ख) (विधिक व्यक्ति की दशा में : जैसे फर्म या कम्पनी या संस्था)

नाम : ----------

उसके मुख्यालय या स्थापन का पता : ----------

(रजिस्ट्रीकृत कार्यालय) : ----------

निगमन वर्ष : ----------

लिखिए क्या विधिक व्यक्ति आवेदक के पास पूँजी या प्रबंध में अभारतीय भागीदारी है :

हाँ ☐ नहीं ☐

यदि हाँ, तो राष्ट्रीयता बताएँ : ----------

(ग) प्राकृतिक व्यक्ति, जो विधिक व्यक्ति का कर्मचारी हो, जो विधिक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्यक रुप से प्राधिकृत हो (उदाहरण के लिए किसी कम्पनी का निदेशक या किसी फर्म का भागीदार) का नाम और पता लिखिए –

नाम : ----------

पदनाम : ----------

पता : ----------

दूरभाष : ----------

फैक्स : ----------

ई-मेल : ----------

3. **उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे इस आवेदन से संबंधित पत्र भेजे जाने हैं (यदि आवश्यक हो, तो प्ररूप तफ –1 में प्राधिकार संलग्न करें)**

IndiaCode

नाम : ----------

पता : ----------

पिन : ----------

दूरभाष : ----------

फैक्स : ----------

ई–मेल : ----------

4. **अभ्यर्थी किस्म की साधारण जानकारी :**

फसल का सामान्य नाम : ----------

वनस्पतीय नाम[4]: ----------

कुल : ----------

अभिधान (बड़े अक्षरों में) : ----------

[4]वनस्पतीय नाम से अंतराष्ट्रीय कृष्ट पौधा नामकरण संहिता द्वारा अनुमोदित वैज्ञानिक नाम अभिप्रेत है।

5. **किस्म का प्रकार (पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 का अध्याय 3 देखिए)**

☐ नई किस्म

☐ विद्यमान किस्म

☐ कृषक किस्म

6.(क) अभ्यर्थी किस्म का वर्गीकरण :

☐ प्रारूपिक किस्म[5]

☐ संकर किस्म*

☐ ट्रांसजेनिक

☐ अन्य (विनिर्दिष्ट कीजिए)

5. प्रारूपिक किस्म से ऐसी किस्म अभिप्रेत है जो संकर नहीं है या अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म नहीं है और पूर्व फसल उत्पादन चक्रों में यावृत प्रवर्धों का उपयोग करके सामान्यतया प्रवर्धित की जाती है। (उदाहरणार्थ : जिसके अंतर्गत पैतृक परंपरा, संश्लेषित/समिश्रित किस्में या वनस्पतिक प्रवर्धित किस्में भी है।)

* संकर न कि ट्रांसजेनिक संकर की दशा में, खेती और बीज उत्पादन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि संलग्न कीजिए।

(ख) सुभिन्नता, एकरूपता स्थिरता तत्व क्या हैं जिनके आधार पर रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है। समूह लक्षणों को सविस्तार बताइए (ब्यौरे के लिए विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश देखिए) तकनीकी प्रश्नावली पूरे विवरण सहित संलग्न कीजिए जो मुहर सहित सम्यकतः हस्ताक्षरित हो।

(ग) यदि नई किस्म ट्रांसजेनिक है तो पर्यावरण और वन मंत्रालय का 'जैव' सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न कीजिए।

7. प्रजनक/प्रजनकों के नाम और पते जिसमें/जिन्होंने अभ्यर्थी किस्म[6] को प्रजनित किया है

नाम : ——————————

पता : ——————————

दूरभाष : ——————————

फैक्स : ——————————

ई-मेल : ——————————

राष्ट्रीयता : ——————————

[6]एक से अधिक प्रजनकों की दशा में, उपरोक्त प्रपत्र में सभी नामों का (ii), (iii) इत्यादि के रूप में उल्लेख कीजिए। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाएँ। यदि किस्म को कृषकों के समूह या समुदाय द्वारा विकसित और संरक्षित किया गया है तो उसका पृष्ठांकन उपाबंध 1 में किया जाएगा।

8. (क) अभिसमय देशों में या अन्य देशों में अभ्यर्थी किस्म के बारे में किए गए अन्य पूर्वत्तर आवेदनों का विवरण (यदि लागू हो तो) :

किस्म अभिधान : ——————————

आवेदित अधिकार की प्रकृति : ☐ पौधा प्रजनक के ☐ पेटेन्ट अधिकार

फाइल करने की तिथि ——————————

(साक्ष्य संलग्न करें)

देश का नाम : ——————————

प्राधिकरण का नाम : ——————————

आवेदन संख्या : ——————————

आवेदन की स्थिति :

☐ विचाराधीन ☐ अनुमोदित ☐ नामंजूर

(यदि आवश्यक हो तो हर लागू देश के लिए उपर्युक्त को दोहराएँ और अतिरिक्त पन्ना लगाएँ)

(ख) यदि उक्त अभिधान की अभ्यर्थी किस्म के सबसे पहले आवेदन के संबंध में अब पूर्विकता मांगी जाती है (यदि लागू हो)

किस देश में : ——————————

किस तारीख को : ——————————
(आवेदन की तारीख)

IndiaCode

9. क्या अभ्यर्थी किस्म का वाणिज्यिक उपयोग किया गया है या अन्यथा उसका समुपयोग किया गया है? ☐ हाँ ☐ नहीं

यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित बताएँ :

किस्म के प्रथम विक्रय की तारीख : ———————————

वह देश जहाँ संरक्षण किया गया है : ———————————

प्रयुक्त अभिधान : ———————————

प्रयुक्त व्यापार चिह्न, यदि कोई हो ———————————

प्रथम फाइल करने की बाबत महत्वपूर्ण लक्षण में भिन्नता : (अलग से पन्ना लगाएँ)

10.(क) यदि अभ्यर्थी किस्म संकर है तो बताएँ कि क्या संकर के बार–बार प्रवर्धन के लिए आवश्यक पैतृक परंपरा आवेदक द्वारा अनन्यतः प्रजनित हैं :

☐ हाँ ☐ नहीं[7]

यदि नही तो उल्लेख करें कौन सी पैतृक परंपरा बाह्यसाधित है, क्या पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, की धारा 30 के अनुपालन में प्रत्येक बाह्य साधित संरक्षित पैतृक परंपरा के लिए करारपत्र अभिप्राप्त किया गया है तथा प्रत्येक के बारे में निम्नलिखित जानकारी भी दें : –

पैतृक परंपरा : ———————————

अभिधान[8]

———————————

स्रोत : ———————————

प्राधिकार–पत्र अभिप्राप्त ☐ संलग्न ☐ संलग्न नहीं

[8] स्रोत पर प्रयुक्त किए गए अभिधान को नहीं बदलना चाहिए। स्रोत संबंधी सूचना में प्रजनक का नाम या संस्था या कृषक या कृषक समुदाय का नाम जिसने पैतृक परंपरा को प्रजनित किया और पोषित किया। अतिरिक्त लागू पैतृक परंपरा के लिए उपर्युक्त जानकारी को दोहराएँ।

(ख) बताएँ संकर के बार–बार प्रवर्धन के लिए पैतृक परंपरा के रूप में यदि किसी कृषक किस्म का या सामान्य ज्ञान की किस्म या लोक क्षेत्र की किस्म का प्रयोग किया जाता है :

☐ हाँ ☐ नहीं

यदि हाँ तो निम्नलिखित विवरण दें :

अभिधान :

IndiaCode

भौगोलिक स्रोत :

सहज गुणों के ब्यौरे (उद्भव) :

स्वामी कृषक/ग्राम समुदाय/संस्था/संगठन का ब्यौरा :

(ग) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 उन कृषकों को फायदों का हिस्सा पाने को सुगम बनाता है जिन्होंने आनुवंशिक संसाधन को संरक्षित किया है जिससे किस्म के विकास में योगदान मिला है। इस विशिष्ट मामले में आवेदक ने किस प्रकार की कृषक/समुदाय मान्यता की योजना बनाई है?

11. किस्म या संकर की व्युत्पत्ति में यदि, विदेशज जनन द्रव्य का प्रयोग किया गया है तो विवरण दीजिए:

12. आवेदन फीस और सुभिन्नता, एकरूपता स्थिरता परीक्षण शुल्क के संदाय का विवरण[9]

फीस राशि ---------- रु

(केवल ---------- रुपए)

मांगदेय ड्राफ्ट सं. और तारीख : ----------

बैंक और शाखा का नाम जिससे मांगदेय ड्राफ्ट आहरण किया गया है :

9 इस आवेदन के स्तंभ 1 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रमाणीकरण के अनुसार प्रस्तुत कृषकों, कृषक समूह और कृषक समुदाय के आवेदनों पर सुभिन्नता, एकरूपता स्थिरता परीक्षण फीस संदाय करने से छूट है।

आवेदक के हस्ताक्षर

IndiaCode

घोषणा

मैं/हम उपरोक्त अभिधान सहित अभ्यर्थी किस्म के रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं और मैं/हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 तथा इस आवेदन से संबंधित उसके नियमों से परिचित हूँ/हैं।

मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन में वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति अभ्यर्थी किस्म के प्रजनन, या खोज या विकास में शामिल नहीं रहा है।

मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि अभ्यर्थी किस्म पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 29 की उपधारा (3) का अनुपालन करती है।

मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने इस किस्म के उक्त अभिधान के लिए या किसी व्यापार चिह्न के लिए आवेदन नहीं किया है या प्राप्त नहीं किया है।

मैं/हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुपालन में एक शपथपत्र संलग्न करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त अभ्यर्थी किस्म के रजिस्ट्रीकरण के इस आवेदन में दी गई जानकारी जिसके अंतर्गत उपाबंध और सभी सहायक दस्तावेज भी हैं, मेरे हमारी सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्ण, सत्य और सही है और कोई भी जानकारी जानबूझकर छिपाई नहीं गई है।

मैं/हम घोषित करता हूँ।/करते हैं कि मैं/हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के सभी उपबंधों तथा दिशानिर्देशों का पालन करूँगा/करेंगे।

स्थान : ---------- आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख : ---------- मुहर

*जहां कहीं आवेदक एक से अधिक हैं वहां हर आवेदक को हस्ताक्षर करने होंगे। प्राधिकृत आवेदक या समनुदेशितियों के द्वारा आवेदन की दशा में इस प्रकार प्राधिकृत या समनुदेशित व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करेगा/करेंगे।

आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्नक (सम्यक रूप में हस्ताक्षरित और मुहर सहित) प्रस्तुत हैं :

(ध्यान दीजिए कि जहां कहीं हस्ताक्षर आवेदन या संलग्नक में किए गए हैं वहां ऐसे सब हस्ताक्षर मूल रूप में होंगे) : –

(क) पूरा आवेदन :

(ख) कृषक किस्म की दशा में उपाबंध में पृष्ठांकन :

(यदि लागू हो तो स्तंभ 1 के अनुसार)

(ग) प्ररूप तफ 1 में प्राधिकार का दस्तावेज (यदि लागू हो) :

(घ) प्ररूप तफ 2 में समनुदेशन का दस्तावेज (यदि लागू हो) :

(ङ) ऊपर दिए गए (ख) और (घ) की पुष्टि में दस्तावेज (यदि लागू हो)

(च) यह शपथपत्र कि टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक प्रयोग निर्बंधन प्रौद्योगिकी अन्तर्वलित नहीं है;

(छ) फाइल करने की तारीख को दस्तावेज की प्रतिलिपि (यदि लागू हो तो स्तंभ 8क के अनुसार)

(ज) करार पत्र की प्रतिलिपि (यदि लागू हो तो 10क के अनुसार);

(झ) अभ्यर्थी किस्म की तकनीकी प्रश्नावली (संलग्न)

(ड़) यदि आवेदक उत्तराधिकार या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के अधिकार के समनुदेशन के फलस्वरूप आवेदक हैं तो पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 18 की उपधारा (3) में यथा अनुबंधित आवेदन करने का अधिकार दर्शित करने का सबूत संलग्न करें।

(ट) अभिसमय देश आवेदक की दशा में, संलग्नक के रूप में पहली बार फाइल करने के संबंध में महत्वपूर्ण लक्षण में परिवर्तन संबंधी पूरा विवरण संलग्न करें;

(ठ) अभिसमय देश आवदेक की दशा में, यह जानकारी दें कि क्या वह किस्म अभिसमय देश के भीतर या बाहर बेची जा चुकी है अथवा उसका अन्यथा व्ययन किया जा चुका है;

(ड) ट्रांसजेनिक की दशा में, सुसंगत जननिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का अनापत्ति प्रमाणपत्र और अनुमोदन; और

(ढ़) फीस, जो लागू है

यदि आवश्यक समझें तो सुभिन्नता स्थापित करने के लिए विनिर्दिष्ट विशेषताओं के रंगीन चित्र संलग्न करें। कृपया आवेदन और हर दस्तावेज के बांये हाशिये में, हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।

उपाबंध–1

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के अधीन कृषक किस्म के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन का पृष्ठांकन

1. आवेदक कृषक/कृषक समूह/कृषक समुदाय का/के नाम

क्रमांक	उपनाम सहित नाम/समूह का नाम/समुदाय का नाम	स्थायी पता

2. अभ्यर्थी किस्म का अभिधान : ——————————————————————

3क (व्यष्टिक कृषक आवेदन को लागू)

मैं घोषित करता हूँ कि मैं —————————————————— राज्य के ———————————— जिले में ————————————————स्थानीय निकाय/पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव ———————————————— में पिछले अनेक वर्षों से स्थायी किसान रहा हूँ और मैं और मेरा परिवार ———————————— वनस्पतिक प्रजाति की ———————— प्रकार (फसल का सामान्य नाम) प्रकार के अंतर्गत रूप में अभिधानित अभ्यर्थी किस्म के प्रारंभिक और अनन्य विकासकर्ता तथा सतत् संरक्षक हैं।

3ख (आवेदन कृषकों के समूह/समुदाय को लागू)

हम घोषणा करते है कि हम ———————— राज्य के ———————— जिले में ———————— स्थानीय निकाय/पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव ———————— में पिछले अनेक वर्षों से स्थायी किसान हैं और हम ———————— वनस्पतिक प्रजाति की ———————— फसल (फसल का सामान्य नाम) प्रकार के अंतर्गत रूप में अभिधानित अभ्यर्थी किस्म के आरंभिक और अनन्य विकासकर्ता तथा सतत संरक्षक हैं।

IndiaCode

---------- (नाम) पुत्र श्री ---------- को जो आवश्यक कार्रवाई करने के लिए हमारे समूह/समुदाय का सदस्य है और ---------- (पूरा डाक पता) का स्थायी निवासी है तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन हमारे पक्ष में अभ्यर्थी किस्म का रजिस्ट्रीकरण करवाने के सीमित प्रयोजन के लिए हमारी ओर से हस्ताक्षरकर्ता होंगे।

तारीख : ----------

स्थान : ----------

कृषक या समूह/समुदाय के प्राधिकृत
व्यक्ति के हस्ताक्षर और उसका नाम
(पृष्ठांकन करने वाले पदाधिकारी के
समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त अभ्यर्थी किस्म आवेदक कृषक/कृषक समूह/कृषक समुदाय द्वारा ही जो उपरोक्त गांव के स्थायी निवासी हैं प्रजनित/विकसित और निरंतर संरक्षित हैं तथा उसकी खेती की जाती है और मैं आवेदक कृषक/कृषक समूह या समुदाय से पूरी तरह परिचित हूँ तथा यह कि अभ्यर्थी किस्म उनके प्रयासों से ही है (विकल्प के रूप में दिए गए अवांछित शब्दों को काट दीजिए)

तारीख : ----------

स्थान : ----------

हस्ताक्षर ----------

नाम ----------

संबंधित पंचायत जैव विविधता प्रबंध समिति
का अध्यक्ष/सचिव अथवा संबंधित जिला कृषि
अधिकारी अथवा संबंधित राज्य के कृषि विश्वविद्यालय के
अनुसंधान निदेशक अथवा संबंधित जिला जनजातीय विकास अधिकारी
(पदीय रबड़ मुहर सहित)

IndiaCode

प्ररूप –II

(विनियम 10 देखिए)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म (ई.डी.वी.) के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(अधिनियम की धारा 28 देखिए)

(आवेदक के लिए अनुदेश : जहाँ कहीं प्रश्नों के सामने बॉक्स बने हैं वहाँ कृपया सुसंगत बॉक्स पर सही का चिह्न लगाएँ और अन्य प्रश्नों पर स्पष्ट लिखित/टंकित उत्तर दें।)

1. **आवेदक (आवेदकों) की पहचान :**

- ○ **व्यष्टिक प्रजनक**
- ○ **प्रजनक का उत्तराधिकारी**
- ○ **संस्थागत आवेदक**
- ○ **कृषक**
- ○ **अन्य[1]**

[1]सहभागी पौधा प्रजनक द्वारा विकसित सामग्री के लिए, कृषक और पौधा प्रजनक के बीच हुए व्यवहार को अभिव्यक्त रूप से दर्शाने के लिए दस्तावेज संलग्न करें।

2. **आवेदक का/आवेदकों के नाम और राष्ट्रीयता**

(क) (प्राकृतिक व्यक्ति की दशा में) :

यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पंक्तियों में लिखे,

6. **क्रम संख्या :** ——————————————————————
7. **नाम[2] :** ——————————————————————
8. **पूरा पता :** ——————————————————————
9. **राष्ट्रीयता :** ——————————————————————

[2]यदि आवेदक कृषक समुदाय या कृषक समूह का प्राधिकृत प्रतिनिधि है तो समूह के सभी सदस्यों अथवा यदि आवेदक की पहचान 'कृषक समुदाय' के रूप में है समुदाय के प्रधान/पदाधिकारी द्वारा दो व्यक्तियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित प्ररूप तफ–1 में प्राधिकार संलग्न किया जाएगा।

(ख) (विधिक व्यक्ति की दशा में : उदाहरणार्थ कोई फर्म या कम्पनी या संस्था)

नाम : ——————————————————————

उसके मुख्यालय या स्थापन का पता : ——————————————————————

(रजिस्ट्रीकृत कार्यालय) : ——————————————————————

निगमन का वर्ष: ----------

क्या आवेदक विधिक व्यक्ति की पूँजी अथवा प्रबंधतंत्र में भारतीयेतर भागीदारी है :

हाँ ☐ नहीं ☐

यदि हाँ तो राष्ट्रीयता बताएँ : ----------

(ग) प्राकृतिक व्यक्ति, जो विधिक व्यक्ति का कर्मचारी हो, जो विधिक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत है, (जैसे कम्पनी का निदेशक या किसी फर्म का भागीदार) का नाम और पता बताइए –

नाम : ----------

पदनाम : ----------

पता : ----------

दूरभाष : ----------

फैक्स : ----------

ई–मेल : ----------

3. उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे इस आवेदन से संबंधित पत्र भेजे जाने हैं (यदि आवश्यक हो तो प्ररूप तफ –1 में प्राधिकार संलग्न करें)

नाम : ----------

पता : ----------

पिन : ----------

दूरभाष : ----------

फैक्स : ----------

ई–मेल : ----------

4. अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म की साधारण जानकारी :

फसल का सामान्य नाम : ----------

वनस्पतिक नाम[3] : ----------

कुटुम्ब : ----------

अभिधान (बड़े अक्षरों में) : ----------

3वनस्पतिक नाम से वैज्ञानिक नाम अभिप्रेत है जो (अंतर्राष्ट्रीय कृष्ट पौधा नामकरण संहिता, 2004 के अनुसार अनुमोदित है)

IndiaCode

5.(क) अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म :

☐ ट्रांसजेनिक

☐ उत्परिवर्त्ती

☐ ऊतक संवर्धन व्युत्पन्न

☐ बैक क्रास व्युत्पन्न

☐ कोई अन्य (गुणिता परिवर्तन आदि)

(ख) यदि ट्रांसजेनिक है तो जननिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न करें और यदि अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म एक ट्रांसजेनिक है तो जैव सुरक्षा एंगल और पर्यावरण विभाग (जीईएसी) का अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा सम्बद्ध बीज उत्पादन अनुज्ञा संलग्न करें (विवरण दीजिए):

6.(क) अभ्यर्थी किस्म का वर्गीकरण :

☐ प्रारूपिक किस्म[4]

☐ संकर किस्म

☐ अन्य (विनिर्दिष्ट कीजिए)

4 प्रारूपिक किस्म से ऐसी किस्म अभिप्रेत है जो संकर या अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म नहीं है और जो पूर्व फसल उत्पादन चक्रों से व्यावृत प्रवर्धों का उपयोग करके सामान्यतया प्रवर्धित की जाती है। उदाहरणार्थ : पैत्रिक परंपरा के अंतर्गत शुद्ध परंपरा संश्लेषित/संमिश्रित किस्में या वनस्पतिक प्रवर्धित किस्में भी हैं।

(ख) सुभिन्नता, एकरूपता स्थिरता तत्व क्या हैं जिनके आधार पर रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है। समूह के लक्षणों को सविस्तार (ब्यौरे के लिए विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश देखिए) समस्त आवश्यक विवरण सहित तकनीकी प्रश्नावली पत्र संलग्न करें जिस पर मुहर सहित सम्यकतः हस्ताक्षर किए गए हों।

(ग) क्या प्रारंभिक किस्म के प्रजनक का प्राधिकार ले लिया है?

☐ हाँ ☐ नहीं

(घ) यदि हाँ तो प्राधिकार की एक प्रतिलिपि संलग्न करें।

IndiaCode

7. **प्रजनक/प्रजनकों के नाम और पते जिसने/जिन्होंने अभ्यर्थी अनिवार्यत व्युत्पन्न किस्म[5] का प्रजनन किया है :**

नाम : _____

पता : _____

दूरभाष : _____

फैक्स : _____

ई–मेल : _____

राष्ट्रीयता : _____

[5]एक से अधिक प्रजनकों की दशा में, उपरोक्त प्रपत्र में सभी नामों का उल्लेख कीजिए जैसे (ii), (iii) इत्यादि। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाएँ। यदि वह किस्म कृषक समूह या समुदाय द्वारा विकसित और संरक्षित है तो यह उपाबंध 1 में पृष्ठांकित किया जाएगा।

8. (क) अभिसमय देशों में या अन्य देशों में अभ्यर्थी अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म के बारे में किए गए अन्य सभी पूर्व आवेदनों का विवरण (यदि लागू हो तो) :

अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म अभिधान : _____

आवेदित अधिकार की प्रकृति ☐ पौधा प्रजनक के पेटेन्ट अधिकार ☐

फाइल करने की तिथि _____

(साक्ष्य संलग्न करें)

देश का नाम : _____

प्राधिकरण का नाम : _____

आवेदन संख्या : _____

आवेदन की स्थिति :

☐ विचाराधीन ☐ अनुमोदित ☐ नामंजूर

(यदि आवश्यक हो तो हर लागू देश के लिए उपर्युक्त को दोहराएँ और अलग से पन्ना लगाएँ)

(ख) यदि उक्त अभिधान की अभ्यर्थी किस्म के सबसे पहले आवेदन के संबंध में अब पूर्विकता मांगी जाती है (यदि लागू हो)

किस देश में : _____

किस तारीख को : _____

(आवेदन की तारीख)

9. क्या अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म का वाणिज्यिक उपयोग किया गया है या अन्यथा समुपयोग किया गया है?

☐ हाँ ☐ नहीं

यदि हाँ तो कृपया निम्नलिखित बताएँ

अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म के प्रथम विक्रय की तारीख : ———————

अनिवार्य : व्युत्पन्न किस्म के प्रथम विक्रय का देश : ———————

प्रयुक्त अभिधान : ———————

प्रयुक्त व्यापार चिह्न, यदि कोई हो : ———————

10 (क)यदि अभ्यर्थी अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म संकर है तो बताइए क्या संकर के बार–बार प्रचार के लिए अपेक्षित सब पैत्रिक वंशक्रम परंपराएँ अनन्यतः आवेदक द्वारा प्रजनित हैं

☐ हाँ ☐ नहीं[6]

[6] यदि नही तो उल्लेख करें कौन–सी पैतृक परंपरा बाह्यसाधित है, क्या पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 30 के अनुपालन में प्रत्येक बाह्य साधित संरक्षित पैतृक परंपरा के लिए करारपत्र अभिप्राप्त किया गया है तथा प्रत्येक के बारे में निम्नलिखित जानकारी भी दें : –

पैतृक परंपरा : ———————

अभिधान[7] : ———————

स्रोत : ———————

प्राधिकार–पत्र अभिप्राप्त ☐ संलग्न ☐ संलग्न नहीं

[7]स्रोत पर प्रयुक्त किए गए अभिधान को नहीं बदलना चाहिए। स्रोत संबंधी सूचना में प्रजनक का नाम या कृषक समुदाय का नाम जिसने पैतृक परंपरा को प्रजनित किया और पोषित किया। अतिरिक्त लागू पैतृक परंपरा के लिए उपर्युक्त जानकारी को दोहराएँ।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म संकर है तो बताएँ क्या संकर के बार–बार प्रवर्धन के लिए पैतृक वंशक्रम के रूप में सामान्य ज्ञान की कृषक किस्म का या लोक क्षेत्र की किस्म का प्रयोग किया जाता है ———————

☐ हाँ ☐ नहीं

यदि हाँ तो निम्नलिखित विवरण दें :

अभिधान :

भौगोलिक स्रोत :

IndiaCode

सहज गुणों के ब्यौरे (उद्भव):

स्वामी कृषक / ग्राम समुदाय / संस्था / संगठन का ब्यौरा ----------

11. अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म या संकर में यदि विदेशज जननद्रव्य का प्रयोग किया गया है तो विवरण दीजिए :

12. आवेदन फीस तथा सुभिन्नता, एकरूपता स्थिरता परीक्षण शुल्क के संदाय का विवरण[8]

फीस राशि ---------- रु

(केवल ----------रुपए)

मांगदेय ड्राफ्ट सं. और तारीख : ----------

बैंक और शाखा का नाम जिससे मांगदेय ड्राफ्ट लिखा गया है :

8. अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म के लिए सुभिन्नता, एकरूपता स्थिरता परीक्षण शुल्क किए जाने वाले परीक्षणों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। किंतु उससे कम नहीं होगा जो आवेदन 1 के अंतर्गत किस्मों के लिए निर्धारित किया गया है।

India Code

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं/हम उपरोक्त अभिधान सहित अभ्यर्थी अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म के रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं और मैं/हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 तथा इस आवेदन से संबंधित उसके नियमों से परिचित हूँ/हैं।

मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन में वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति अभ्यर्थी अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म के प्रजनन, या खोज या विकास में शामिल नहीं रहा है।

मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि अभ्यर्थी अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 29 की उपधारा (3) का अनुपालन करती है।

मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने इस अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म के अभिधान के लिए या किसी व्यापार चिह्न के लिए आवेदन नहीं किया है या प्राप्त नहीं किया है।

मैं/हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुपालन में एक शपथपत्र संलग्न करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त अभ्यर्थी अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म के रजिस्ट्रकरण के इस आवेदन में दी गई जानकारी जिसके अंतर्गत और उपाबंध और सभी सहायक दस्तावेज भी है, मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्ण, सत्य और सही है और कोई भी जानकारी जानबूझकर छिपाई नहीं गई है।

मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि दीप्त सीमांत प्रौद्योगिकी (टीटी), या जननिक उपयोग निर्बधंन प्रौद्योगिकियाँ (जी.यू. आर.टी.एस.) या ऐसी अन्य रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत सामग्री में नहीं हैं।

मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के सभी उपबंधों तथा दिशानिर्देशों का पालन करूगाँ/करेंगें।

स्थान : ----------

तारीख : ----------

आवेदक के हस्ताक्षर

IndiaCode

*जहाँ कहीं आवेदक एक से अधिक हैं वहाँ हर आवेदक को हस्ताक्षर करने होंगे। प्राधिकृत आवेदक या समनुदेशितियों के द्वारा आवेदन की दशा में इस प्रकार प्राधिकृत या समनुदेशिती व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करेगा/करेंगे।

आवेदन की तीन प्रतियों में से प्रत्येक प्रति के साथ निम्नलिखित संलग्नक प्रस्तुत हैं।

(ध्यान दीजिए कि जहाँ कहीं हस्ताक्षर आवेदन में या संलग्नक में किए गए हैं वहाँ ऐसे सब हस्ताक्षर मूल रूप में होंगे):–

(क) पूरा आवेदन

(ख) कृषक की अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म की दशा में उपाबंध 1 में पृष्ठांकन (यदि लागू हो तो स्तंभ 1 के अनुसार) ,

(ग) प्ररूप तफ I में प्राधिकार का दस्तावेज (यदि लागू हो) ;

(घ) प्ररूप तफ II में समनुदेशन का दस्तावेज (यदि लागू हो) ;

(ड़) ऊपर दिए गए (ख) और (घ) की पुष्टि में दस्तावेज (यदि लागू हो);

(च) यह शपथपत्र कि समापन प्रौद्यौगिकी और आनुवंशिक उपयोग निर्बधन प्रौद्योगिकी अन्तर्वलित नहीं हैं;

(छ) फाइल करने की तारीख को दस्तावेज की प्रतिलिपि यदि लागू हो तो स्तंभ 8 'क' के अनुसार

(ज) पत्र का प्रतिलिपि (यदि लागू हो तो स्तंभ 10 'क' के अनुसार ;

(झ) अभ्यर्थी किस्म के लिए तकनीकी प्रश्नावली (संलग्न) ;

(ण) यदि उत्तराधिकार या रजिस्ट्रीकरण के आवेदन करने के अधिकार के समनुदेशन के फलस्वरूप आवेदक हैं तो पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 18 की उपधारा (3) में यथा अनुबंधित आवेदन करने का अधिकार दर्शित करने का सबूत संलग्न करें।

(ट) फीस, जो लागू हो

यदि आवश्यक समझे तो सुभिन्नता स्थापित करने के लिए विनिर्दिष्ट विशेषताओं के रंगीन चित्र संलग्न करें। कृपया आवेदन और हर दस्तावेज के बायें हाशिये में हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।

IndiaCode

उपाबंध–1

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन कृषक की अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन का पृष्ठांकन

1. आवेदक कृषक/समूह कृषक/समुदारय कृषक का/के नाम

क्र सं.	उपनाम सहित नाम/समूह का नाम समुदाय का नाम	स्थायी पता

2. अभ्यर्थी किस्म का अभिधनः----------

3क (व्यष्टिक कृषक आवेदक को लागू)

मैं घोषित करता हूँ कि मैं ---------- राज्य के ---------- जिसमें ---------- स्थानीय निकाय/पंचायत के अन्तर्गत आने वाले गाँव ---------- में पिछले अनेक वर्षों से स्थायी किसान रहा हूं और यह कि मैं और मेरा परिवार ---------- वनस्पतिक प्रजाति (फसल का सामान्य नाम) की ---------- प्रकार के अंतर्गत ---------- रूप में अभिधानित अभ्यर्थी किस्म के प्रारम्भिक और अनन्य विकासकर्ता और सतत् संरक्षक हैं।

3 ख. (आवेदक कृषकों के समूह/समुदाय को लागू)

हम घोषित करते हैं कि हम ---------- राज्य के ---------- जिले में ---------- स्थायी निकाय/पंचायत के अन्तर्गत ---------- गांव में पिछले अनेक वर्षों से स्थायी किसान रहे हैं और यह कि हम वनस्पतिक प्रजाति के प्रकार ---------- (फसल का सामान्य नाम) के अंतर्गत ---------- रूप में अभिधानित अभ्यर्थी किस्म के प्रारंभिक और अनन्य विकासकर्ता और सतत संरक्षक हैं। हम अपने समूह/समुदाय की ओर से श्री ---------- पुत्र श्री ---------- (नाम) को जो हमारे समूह/समुदाय का सदस्य है और

---------- (पूरा डाक पता) का स्थायी निवासी है, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिकार अधिनियम, 2001 के अधीन अपने पक्ष में अभ्यर्थी किस्म का रजिस्ट्रीकरण करवाने के सीमित प्रयोजन के लिए अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई करने तथा हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

तारीख ----------

स्थान ----------

हस्ताक्षर

कृषक का नाम

समूह/समुदाय का प्राधिकृत व्यक्ति

(पृष्ठांकन करने वाले पदाधिकारी के समक्ष

हस्ताक्षर किए जाएँ)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त अभ्यर्थी अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म आवेदक कृषक/कृषक समूह/कृषक समुदाय द्वारा ही, जो उपर्युक्त गांव के स्वामी निवासी हैं प्रजनित/विकसित और निरंतर संरक्षित हैं तथा उसकी खेती की जाती हैं और मैं आवेदक कृषक/कृषक समूह/कृषक समुदाय से पूरी तरह परिचित हूँ तथा यह कि अभ्यर्थी अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म उनके प्रयासों से ही है। (विकल्प के रूप में अंकित अवांछित शब्दों को काट दीजिए।)

तारीख ----------

स्थान ----------

हस्ताक्षर----------

नाम ----------

(संबंधित पंचायत जैव विविधता प्रबंध समिति का अध्यक्ष/सचिव

अथवा संबंधित जिला कृषि अधिकारी अथवा

संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालय का अनुसंधान निदेशक अथवा

संबंधित जिला जनजातीय विकास अधिकारी)

(पदीय स्टाम्प सहित)

India Code

तकनीकी प्रश्नावली

1. आवेदक / प्रजनक / कंपनी का नाम :

2. स्थापना वर्ष :

3. क्या वह कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है (विवरण दीजिए) :–

4. निगमित कार्यालय का स्थान और पता : –

5. फोन / फैक्स / ई–मेल : –

6. अभ्यर्थी किस्म का नाम : –

(क) क्या इसे किसी कन्वेंशन देश में इससे पूर्व लोकार्पित किया जा चुका है

☐ हाँ ☐ नहीं

यदि हाँ तो स्तंभ सं. 13 में पूरा ब्यौरा दीजिए।

(ख) वंशावली / वंशक्रम : ———————————————

IndiaCode

(अभ्यर्थी किस्म के प्रजनन में प्रयुक्त किस्मों, परम्पराओं या क्लोनों का ब्यौरा देते हुए आरेखीय रेखाचित्र सहित)

(ग) अभ्यर्थी किस्म का प्रजनन

(i) उत्पत्ति (सही पर (✓) चिह्न लगाएँ) नियंत्रित परागण/खुला परागण/अभिप्रेरित उत्परिवर्तन/स्वतःप्रसूत उत्परिवर्तन/आमुख/चयन/पौध चयन/कोई अन्य (विनिर्दिष्ट कीजिए)

(ii) पैतृक सामग्री (पैतृक सामग्री का नाम, पैतृक सामग्री के लक्षण, जो अभ्यर्थी किस्म से प्रभेद्य हो) यदि किसी किस्म का विकास चयन द्वारा किया गया था तो उसे नियत करने से पूर्व पूरे किए गए चयन चक्रों की संख्या

(iii) प्रयुक्त की गई प्रजनन तकनीक/प्रक्रिया

(iv) प्रयुक्त की गई चयन मानदंड

(v) चयन और गुणन का प्रक्रम

(vi) वह स्थान जहाँ प्रजनन किया गया

IndiaCode

7. आवेदक द्वारा किए गए तुलनात्मक परीक्षण का विवरण, यदि कोई हो

ऐसे तुलनात्मक परीक्षण के अवस्थान, स्थान, अवधि और वर्ष/मास, खेती की पद्धति जैसे .खुला खेत, सुविधाएँ, पौधरोपण, अंकुरण आदि, खेतीबारी का पैमाना, प्रयुक्त की गई निर्देश किस्में, निर्देश किस्मों के चुनाव की मानदंड प्रयोग का डिजाइन, भिन्नता के विश्लेषण की पद्धति प्रयोगात्मक त्रुटि, जहाँ लागू हो, विषयक जानकारी तथा अन्य विवरण।

टिप्पण : *आवेदक अभ्यर्थी और निर्देश किस्मों के लक्षणों की सारणी के अतिरिक्त प्रजनन, तुलनात्मक परीक्षण और तुलनात्मक आंकड़ों के विवरण से संबंधित प्रकाशनों के आँकड़े, सारणियाँ, प्रतियाँ भेज सकते हैं। इस मद के अंतर्गत यह जानकारी प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित नहीं की जाएगी किंतु अभ्यर्थी किस्म की परीक्षा को सुकर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा।*

8. अभ्यर्थी किस्म के लक्षण

कृपया किस्म के लक्षणों का वर्णन उपशीर्षकों में कीजिए : पौधा, अंकुर, पत्ती, पुष्प समूह, पुष्प और पुष्प के भाग, फल और फल के भाग, बीज आदि। साधारणतया उपशीर्षकों के अंतर्गत लक्षणों का वर्णन निम्नलिखित क्रम में कीजिए : प्रकृति, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, आकार, आकृति, रंग (संस्करण के साथ आर.एच.एस. रंग चार्ट निर्देश) वर्णन को स्पष्ट करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश का हवाला दें।

(क) (i)समूह लक्षणों का उल्लेख कीजिए –

(क)(ii) सुभिन्न लक्षण (वर्णनात्मक या सविस्तार)

(ख) अभ्यर्थी अभिधान और निर्देश किस्म के बीच लक्षणों की सारणी

कृपया निर्देश किस्मों के तत्संबंधी औसत मूल्यों के साथ–साथ महत्वपूर्ण लक्षणों के लिए उसके सब सुभिन्न और अन्य वर्णन के लिए प्रतिवलित मूल्यों का उल्लेख कीजिए।

IndiaCode

टिप्पण : लक्षण सारणी में दो या अधिक निर्देश किस्मों की तुलना अभ्यर्थी किस्म से की जानी चाहिए जिसके अंतर्गत एक ऐसी किस्म है जो सबसे अधिक समरूप किस्म समझी जाती है तथा अन्य जो यथासंभव प्रत्यक्ष/समरूप/यदि आप यह जानकारी देंगे तो इससे प्राधिकरण के लिए अभ्यर्थी किस्म की परीक्षा में और आगे डी.यू.एस. परीक्षण करना आसान हो जाएगा।

लक्षण	अभ्यर्थी किस्म का लक्षणात्मक मूल्य									मापे गए मूल्य पर टिप्पण आदि	निर्देश किस्म का लाक्षणिक मूल्य	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		()	()

IndiaCode

9. निर्देश किस्मों के लक्षण

(ख) अत्यधिक समरूप किस्म

(i) अभिधान

(ii) तुलना के लिए इस किस्म के विकल्प का आधार

(iii) सुभिन्न लक्षण

(ख) अन्य निर्देश किस्म

(i) अभिधान

(ii) तुलना के लिए इस किस्म के विकल्प का आधार

(iii) सुभेन्न लक्षण

10. अभ्यर्थी किस्म की सुभिन्नता का विवरण

कृपया उन लक्षणों का संक्षिप्त सारांश देते हुए जो अभ्यर्थी किस्म को सामान्य जानकारी की सभी किस्मों से सुभिन्न करते हों, सुभिन्नता विवरण दीजिए। सुभिन्नता विवरण के अंतर्गत निम्नलिखित होना चाहिए : (i) निर्देश किस्म के नाम जो अभ्यर्थी किस्म के सर्वाधिक समरूप देखी गई है, और

(ii) अभ्यर्थी किस्म और समरूप/निर्देश किस्म के बीच प्रमुख प्रभेदक लक्षणों की तुलना

IndiaCode

11. अभ्यर्थी किस्म की सुभिन्नता, एकरूपता और स्थिरता संबंधी विवरण

कृपया किस्म में किसी भिन्नता का वर्णन करते हुए एक संक्षिप्त विवरण दीजिए जिसे उसके सामान्य एकरूपता या स्थिर अभिव्यक्ति का अंग माना जा सके। जो संभाव्य हो, सुस्पष्ट शर्तों में तथा वाणिज्यिक तौर पर स्वीकार्य हो। इसके अंतर्गत भिन्न प्रकारों, रूपांतरों या उत्परिवर्तनों का वर्णन और बारम्बारता शामिल हैं। आपकी राय में, भिन्न प्रकारों या किसी अन्य वर्णनीय रूपांतर की बारंबारता क्या होनी चाहिए जिसके बाहर अभ्यर्थी किस्म एकरूप नहीं समझी जाएगी। कृपया यह उल्लेख कीजिए कि वे कौन सी विशेषताएँ हैं जो अभ्यर्थी किस्म के फेनोटाइप का अस्थिर प्रकटन तय करने के सूचक के रूप में विशिष्ट तौर पर निर्दिष्ट की जा सकें।

12. अभ्यर्थी किस्म को अनुरक्षित करने की पद्धतियाँ

कृपया संक्षिप्त विवरण में बताएँ कि प्रचार सामग्री पौधा प्रजनक के अधिकार की अवधि में किस प्रकार अनुरक्षित की जाएगी, और पूरा पता लिखें जहाँ वह किस्म अनुरक्षित होगी। इसके अंतर्गत किस्मों की स्थिति में शामिल है जो बीजों द्वारा प्रवर्धित नहीं की जाती है। इसके अंतर्गत उनकी वनस्पतिक सामग्री के अनुरक्षण और भंडारण का स्थान और पद्धति भी शामिल हैं।

टिप्पण : किसी पौधा प्रजनक अधिकार का धारक यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि अधिकार के दौरान अनुरक्षण में किस्मों के प्रवर्धन सामग्री प्रतिनिधि का अनुरक्षण करे।

13. अभिसमय देशों में रजिस्ट्रीकृत किस्म से संबंधित जानकारी

क. इस अभ्यर्थी किस्म के लिए आवेदन में समूहकरण लक्षण क्या थे?

(i) ---

(ii) ---

(iii) ---

(iv) ---

(v) ---

(vi) ---

(vii) ---

(viii) ---

(ix) ---

ख. सुभिन्नता एकरूपता और स्थिरता पैरामीटर क्या थे जिस पर इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया था।

ग. पहली फाइलिंग और वर्तमान फाइलिंग के संबंध में महत्वपूर्ण लक्षणों में क्या भिन्नता है (फोटोचित्र लगाएं)

घ. क्या उस किस्म को प्रथम फाइल किए गए देश में खेती से हटा लिया गया है अथवा किसी भी पश्चात्वर्ती लोकार्पण देश से निषिद्ध कर दिया गया है?

ड़ यदि हाँ तो कारण बताइए (जानकारी के साथ) ?

तारीख : ————————

हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर और पता ————————————

प्रजनक/कंपनी का पदनाम और उसकी मुहर

प्रजनक/कंपनी को तकनीकी प्रश्नावली के हर पृष्ठ पर तारीख सहित हस्ताक्षर करने चाहिए।

(सं. ————————————)

()

प्ररूप - 1 क

प्राधिकरण के लिए प्ररूप
(कृपया विनियम 13(1) और 13(6) (1) देखें)

जिससे संबंधित हो

मैं/हम,
बीजों/प्रवर्धन सामग्री के रजिस्ट्रीकृत प्रजनक हूं/हैं, मेरे/हमारे पास इसका प्रमाण पत्र सं०., है और अभिघात सं०., है,, के संबंध में निवासी, को निम्नलिखित अधिकार प्रदत्त करते हैं।
(जो भी लागू हो कृपया निशान लगाएं)

क. उत्पाद का अधिकार
ख. विक्रय का अधिकार
ग. विपणन का अधिकार
घ. वितरण का अधिकार
ङ. नीचे दिया गया कोई अन्य अधिकार

.....

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 28 की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकरण के इस विलेख के अधीन प्रदत्त अधिकार निम्नलिखित शर्तों और निबन्धनों के अधीन होंगे :-

(1) अवधि

इस प्राधिकरण की अवधि रजिस्ट्रीकृत पौधा प्रजनक के पूर्ण स्वविवेक पर नवीकरण के अध्यधीन केवल की अवधि के लिए होगी।

(2) पुनरीक्षण

प्राधिकरण के लिखत को उपरोक्त में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत प्रजनक द्वारा खंड (1) के अधीन उल्लिखित प्राधिकरण की अवधि के दौरान किसी भी समय किसी उपांतरण/पुनरीक्षण के अध्यधीन है।

(3) राज्य क्षेत्र

इस प्राधिकरण के लिखत द्वारा प्रदत्त या सृजित अधिकारों और दायित्वों का क्षेत्र (भौगोलिक क्षेत्र विर्निदिष्ट करें) के भीतर ही प्रचालन का अर्थ होगा और उसी के भीतर विधिमान्य होगा और न कि इसमें उल्लिखित राज्य क्षेत्रों से परे।

IndiaCode

(4) पर्यावसान

इस प्राधिकरण के लिखत को रजिस्ट्रीकृत प्रजनक के एकमात्र विवेक पर किसी भी समय पर्यावसान/निरस्त किया जा सकता है। प्राधिकरण के लिखत को इस लिखत के खण्ड (1) के अधीन उल्लिखित शर्त के भीतर पर्यावसान किया होगा यदि इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की किसी धारा और उसमें बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है।

(5) एकल लिखत

इस प्राधिकरण के लिखत को, जहां तक पौधा किस्म और कृषक आधकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 28 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत इसमें उपर्युक्त नामदिष्ट पंजीकृत प्रजनक द्वारा इसमें प्राधिकृत या सृजित अधिकारों का संबंध है, एकमात्र साधन माना जाएगा।

(6) कोई उत्तराधिकार नहीं

इस प्राधिकरण के लिखत द्वारा प्राधिकृत या सृजित कार्यों या अधिकारों का उत्तराधिकार योग्य नहीं समझा जाएगा और अतः इसमें प्राधिकृत व्यक्ति (यों) की मृत्यु/दीवालियापन/समापन के मामले में, इस प्राधिकरण के लिखत को पर्यावसान हुआ समझा जाएगा।

IndiaCode

हस्ताक्षर

(रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्म प्रजनक का नाम)

साक्षी :

(क)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2006

G.S.R. 740(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 95 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority hereby makes, with the approval of the Central Government, the following regulations, namely:-

CHAPTER – I

1. Short title and commencement: (1) These regulations may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Regulations, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions: (1) In these regulations, unless the context otherwise requires-

(a) **"Act"** means the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001;

(b) **"Agreement Country"** means the country which makes an agreement with the Republic of India on Intellectual Property Rights or Plant Variety Protection;

(c) **"Applicant"** means the person who applies to the Authority for registration of plant varieties;

(d) **"Form"** means a form annexed to the regulations;

(e) **"Journal"** means the Plant Variety Journal of India;

(f) **"Parental Line"** means the inbred line of immediate parents or 'A' line 'B' line and 'R' line of hybrids;

(g) **"Rules"** means Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003; and

(h) **"section"** means a section of the Act.

(2) All other words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER – II
Duties and Jurisdiction of the Registrar

3. Duties of the Registrar -

(1) The Registrar shall discharge the functions under the superintendence and directions of the Registrar General

(2) The Registrar, on receipt of an application under section 14 for the registration of any variety, shall examine the same under section 20 and decide whether the application is to be accepted or to be refused or to be accepted subject to requirement of amendment(s) or limitations.

(3) The Registrar shall give the applicant an opportunity to amend the application and the right to be heard before refusing the application.

(4) The Registrar shall have powers to register a variety, the denomination of which comprises of its geographical name under special circumstances.

(5) The Registrar, in consultation with and with the approval of the Authority, shall facilitate, subject to meeting the pre-requisites for registration, registration of essentially derived variety.

(6) The Registrar shall issue certificate of Registration on registration of a variety under the Act.

(7) The Registrar shall, on being satisfied, allow alterations in denominations, names and addresses of the applicants, assignees, authorized agents, legal representatives and successor and may permit clerical corrections in the Register or certificates of registration or applications on receipt of written request to this effect.

(8) The Registrar shall consider oppositions filed in deciding applications for registration.

(9) The Registrar shall maintain National Registry of Plant Varieties, Register of Agents and licensees along with entitlement and conditions and update the same from time to time.

(10) The Registrar shall cancel or vary, the Certificate of Registration on obtaining proper evidence; terms of registration by giving a reasonable opportunity to the person concerned of being heard and consult the Authority whenever required, before giving a final decision.

(11) The Registrar shall have powers to issue copies of certificates of registration or any part or whole of Register of Plant Varieties, on receipt of written application to this

effect, apart from allowing inspections of the Register of Plant Varieties on written request.

(12) The Registrar may allow a party to a proceeding before it on written request and on satisfactory proof that the interest of the person, who were a party to it and who had expired, should transmit to the person or party impleaded.

(13) The Registrar shall advertise in the Gazette or Journal changes made to the Certificate of Registration.

4. Jurisdiction: The Registrar shall have jurisdiction of All India basis with respect to crops and areas, as per the order of the Authority from time to time. He shall be assisted by the Joint Registrar, Deputy Registrar and other technical and administrative staff.

5. The term of office and the conditions of service of the Registrars

(1) A person having adequate practical knowledge of Plant Variety Protection System and Post-graduation in Agricultural Science (with specialization in Plant Breeding and Genetics, Biotechnology, Agriculture Botany etc.) or Forestry or allied subject shall be eligible to hold the Office of Registrar in the Authority. The Registrar can be taken on deputation and absorption basis from other Departments or Organization.

(2) The Authority shall follow Fundamental Rules, Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 and Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 while fixing salary and other allowances including pension, leave, traveling and daily allowances of the Registrar. The Authority shall have the flexibility to make the special policy or rules or regulations or guidelines for career advancement or promotion of Registrar and other staff of the Authority.

(3) A person holding the office of the Registrar may relinquish the office by giving in writing to the Authority notice of not less than three months.

(4) The other conditions of the Registrar shall be regulated by orders made in that behalf by the Authority from time to time

CHAPTER III

Registration of Plant Varieties and essentially derived variety

6. Criteria for registration of extant variety.

The suitability for registration of extant varieties which have been notified under section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966) shall be examined by the Extant Variety

IndiaCode

Recommendation Committee to be constituted by the Authority. The Extant Variety Recommendation Committee will be comprised of seven persons including one Farmers' Representative and one Seed Industry Representative and other subject matter specialists who shall be nominated by the Authority. The Extant Variety Recommendation Committee shall have three years tenure and Registrar of the Authority shall be the *Ex-officio* Member Secretary of the Committee. On the basis of the recommendations of the Extant Variety Recommendation Committee, the extant variety of notified variety under the Seeds Act, 1966 shall be registered as per the provisions of the section 28 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001. The Criteria of distinctiveness, uniformity and stability for registration of extant variety differ from species to species and they shall be notified by the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority in the Gazette of India.

7. Assignment of Denomination to a Plant Variety.

(1) A mark may only be approved as a denomination for a variety if the applicant concerned submits documentary proof that the holder of the mark concerned renounces his or her right to such mark as from the date on which a Plant Breeder's Right to the variety is granted; and

(2) The denomination approved by the Registrar for a variety in respect of which protection has been granted by, or an application for protection has been lodged with the designated authority in a convention country or an agreement country in accordance with the laws in force in that country shall the same as the denomination thus protected or thus applied for in such country, on condition however that the provision of sub-section (1) are complied with and that a priority claim on such denomination is not proved by another person.

8. The manner in which a single and distinct denomination shall be assigned by the Applicant.

(1) The denomination that is proposed for a variety in terms of section 18 of the Act shall-

(a) be suitable to identify the variety;

(b) be expressed by means of letters or combination of letters and figures in Hindi or English;

(c) not to be such as to be mislead or to lead to confusion concerning the characteristics, value or identity of the variety in question or the identity of the breeder thereof;

(d) be different from each denomination which designates existing varieties of the same or a closely related species registered under this Act, in a convention country or an agreement country, or not likely to create confusion in the public regarding identity of the variety;

(e) not be identical with or similar to or liable to lead to confusion with a mark which enjoys the protection accorded thereto by the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999) and which applies to propagating material or the use in connection there with or in connection with a product thereof;

(f) not be inimical to public order or contrary to morality;

(g) be the same in all convention countries or agreement countries;

(h) not generally comprise of solely or partly of geographical name;

(i) be not prohibited for use as a name or emblem for any purpose mentioned in section 3 of the Emblems and Names (Protection of Improper Use) Act, 1950 (52 of 1950).

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in these regulations

(a) when a variety is advertised, offered for sale or marketed, it shall be permitted to associate a trademark, trade name or other similar indication with a registered variety denomination after informing the Registrar in writing;

(b) a trademark, trade name or other similar indication referred to in clause (a) of section 4 above shall not be used alone without the registered variety denomination and also without the prior information to the Registrar.

9. Time within which the Registrar may require an applicant to propose another denomination.

If the Registrar considers a denomination proposed for a variety as unsuitable, the applicant concerned shall submit some other denomination acceptable to the Registrar within two months from the date of receipt of such direction.

10. Form of Application.

Every application for registration under section 14 and section 23 may be made in the Form I and Form II.

11. Standards for evaluating seeds or variety during tests.

The test to be conducted for evaluation of a variety to be referred under the Act shall conform to the criteria of distinctness, uniformity and stability test guidelines published by Plant Varieties and Farmers' Rights Authority

and shall be revised and updated from time to time with the prior information to the Central Government. The Standards for evaluating seeds during tests under sub-section (1) of section 19 shall be such as notified under Seeds Act, 1966 or further amendments to that effect.

CHAPTER IV

Deposit of Seeds and Authorization

12. Quantity of seeds or propagating materials required to be deposited, by the Breeder, in the National Gene Bank.

The quantities of seeds or propagating materials including parental line seeds of registered varieties including the varieties under distinctness, uniformity and stability testing required to be deposited under sub-section (1) of section 27 of the Act shall be as per the quantities specified in the distinctness, uniformity and stability test guidelines under regulation 11 that would be published in the Journal of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority which will be treated equivalent to the Gazette of the Government of India.

13. Limitations and conditions for authorization

(1) Subject to the provision of section 28, any authorization conferred under sub-section (3) of section 28 by a registered breeder shall be made in Form 1A.

(2) The Form mentioned under sub-rule (1) shall be executed on a non judicial stamp paper and shall confirm to the requirement of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899)

(3) The Form shall be duly attested by the registered breeder or any person authorized on his behalf in the presence of two witnesses.

(4) The Form shall be duly registered in accordance with the rules.

(5) An authorization under sub-section (2) of section 28 shall be valid subject to the following conditions, namely:-

(i) the right(s) conferred by the registered breeder shall be clearly identified and checked in the Form mentioned under sub-rule (1);

(ii) the term of the authorization is clearly specified in the Form mentioned under sub-rule (1); and

(iii) the territories are clearly identified specified in the Form and do not violate rights granted to any licensee under the Act.

(6) An authorization by a registered Breeder under sub-section (2) of section 28 of the Act shall be subject to the following conditions, namely: -

(i) all authorizations under sub-section (2) of section 28 shall be in **Form 1A.**

(ii) no authorization under sub-section (2) of section 28 shall be valid unless the following conditions are fulfilled, namely:-

(a) authorization should be executed on a non-judicial stamp paper;

(b) authorization Instrument should be duly signed by the registered Breeder or by his duly authorized agent;

(c) authorization Instrument should be duly registered; and

(d) authorization Instrument should also be signed by two independent witnesses.

(iii) All authorizations shall identify the specific right(s) conferred thereunder and shall clearly mention the duration and territorial extent of such authorizations.

[F. No. 1-2/2003/SD-V]
S. L. BHAT, Jt. Secy. (Seeds)

IndiaCode

FORM 1

[See regulation 10]

APPLICATION FOR REGISTRATION OF NEW VARIETY, EXTANT VARIETY AND FARMER'S VARIETY UNDER PROTECTION OF PLANT VARIETY AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001.

[See section 18, other than essentially derived variety.]

(Instruction to applicant: Wherever a box item appears against queries, please tick the relevant box and provide legibly written/typed response in other queries.)

1. Identity of the Applicant(s):

- ☐ INDIVIDUAL BREEDER
- ☐ SUCCESSOR OF BREEDER
- ☐ INSTITUTIONAL APPLICANT
- ☐ FARMER[1]
- ☐ COMMUNITY OF FARMERS[1]
- ☐ GROUP OF FARMERS[1]
- ☐ ASSIGNEE OF ANY OF ABOVE[2]
- ☐ CONVENTION COUNTRY [3]
- ☐ ANY OTHER [4]

1. Application on farmers' variety by farmers or community of farmers or group of farmers as contained in the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 shall be submitted only with an endorsement in Annexure I either by the concerned Panchayat Biodiversity Management Committee, or District Agricultural Officer, or Director of Research of concerned State Agricultural University or District Tribal Development Officer.
2. An assignee or legal representative applicant shall submit required proof of the right of making the application in accordance with rule 27.
3. The Gazette Notification of Government of India should cover the country of the applicant and that India enjoys such mutual privileges (see rule 31 of the Act)
4. For material developed by participatory plant breeding, attach documents to explicitly show the deal struck between the farmer and the plant breeder.

2. Name(s) and Nationality of Applicant(s)

(a.) (If natural person): [Insert additional rows, if required]

1. Serial Number.
2. Name[3]
3. Complete Address
4. Nationality

[3] If the applicant is the authorised representative of a group of farmers/community of farmers an authorisation in Form PV-1 signed by all members of the group, or by the Head/office bearer of the community witnessed by the two people, if the identity of the applicant is "community of farmers' shall be attached.

(b.) (If a legal person; for example a firm or company or institution)

Name:

Address of its seat or establishment _____

(Registered office): _____

Year of Incorporation: _____

State whether the applicant legal person has non-Indian participation in capital or management:

☐ Yes ☐ No

If yes, identify the nationality

(c.) **Indicate the name and address of the natural person, being an employee of the legal person, who is duly authorized to represent the legal person (example a director of a company or a partner of a firm):**

Name: _____

Designation: _____

Address: _____

Telephone: _____

Fax: _____

E-mail: _____

3. **Name and Address of the Person to whom Correspondence related to this application is to be sent: (Attach authorisation in Form-PV-1, if required)**

Name _____

Address _____

Pin _____

Telephone: _____

Fax: _____

E-mail:

4. **General Information of the Candidate Variety:**

Common name of the Crop: _____

Botanical name [4]: _____

Family _____

Denomination (in block letters): _____

IndiaCode

[4] Botanical names mean the scientific name approved by the International Code for Nomenclature of Cultivated Plants, 2004.

5. Type of Variety (see chapter III of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority, 2003)

☐ NEW VARIETY
☐ EXTANT VARIETY
☐ FARMERS' VARIETY

6.(a.) Classification of the Candidate Variety:

☐ TYPICAL VARIETY[5]
☐ HYBRID VARIETY*
☐ TRANSGENIC
☐ OTHER (SPECIFY)

5. Typical variety means a variety, which is not a hybrid or an essentially derived variety and normally propagated by using propagules saved from previous crop production cycles (Example: pure lines including parental lines/composite varieties or vegetative propagated varieties).

* The hybrid and not a transgenic hybrid. In case of transgenic attach copy of the Genetic Engineering Approval Committee clearances for cultivation and seed productions

(b.) What is (are) the Distinctness Uniformity Stability feature on the basis of which registration is sought. Explain in detail the group characters (see specific guidelines for details). Attach 'Technical Questionnaire' sheet with all needed details duly signed with seal.

(c.) If new variety is a transgenic attach clearance on Bio-safety from Ministry of Environment and Forests.

7. Names and Addresses of Breeder(s) who has/have bred the Candidate Variety[6]:

Name: _____

Address: _____

Telephone: _____

Fax: _____

E-mail: _____

Nationality: _____

[6] In case of more than one breeder, mention all names as (ii), (iii) and so on in the above format. If required insert extra page. In the case the variety is evolved and conserved 'by group or community of farmers', it shall be endorsed in Annexure I.

8.(a.) Details of all other earlier applications made on the candidate variety in convention countries or other countries (if applicable):

Variety denomination: _____

Nature of right applied for: ☐ Plant Breeder's Rights ☐ Patent

Filing Date
(Attach evidence): _____

Name of Country: _____

Name of Authority: _____

Application Number: _____

Status of Application: ☐ Under process ☐ Approved ☐
Rejected

(If required, repeat the above for each applicable country and attach separate sheet)

(b.) Priority is now claimed in respect of the earliest application for a candidate variety of said denomination (if applicable):

In (country): _____

On (date of application): _____

9. Has the candidate variety been commercialised or otherwise exploited?

☐ Yes ☐ No

If yes, please indicate the following:

Date of the first sale of the variety: _____

Country (ies) where Protection is made: _____

Denomination used _____

Trademark used, if any: _____

Variation in important trait with Respect to first filing: **(attach sheet)**

10.(a.) If the candidate variety is a hybrid, state whether all the parental lines required for the repeated propagation of the hybrid are bred exclusively by the applicant(s):

☐ Yes ☐ No[7]

[7]If no, mention which of the parental line is outsourced, whether letter of agreement is obtained for each of the outsourced protected parental lines in compliance with Section 30 of the Protection of the Plant Varieties and Farmers' Rights Act and also provide following information on each of them:

Parental line (S):
Denomination[8]:
Source:
Authorisation letter obtained: ☐ Attached ☐ Not attached

[8] Denomination should not be altered from what was used at the source. Information on source may include name of breeder or institution or farmer or faming community who had bred and maintained the parental line. Repeat above information for additional applicable parental line.

IndiaCode

(b.) State if any Farmers' Variety or Variety of Common Knowledge or variety in public domain is used as parental line for the repeated propagation of the hybrid:

☐ Yes ☐ No

If yes, give following details:

Denomination:

Geographical Source:

Details of Attribution (origin):

Details of owner farmer /village community/ Institution/ Organisation:

(c.) The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act,2001 provides access to benefit sharing to farmers who have conserved the genetic resource that has contributed towards variety development. In this particular case what sort of farmer/community recognition the Applicant has planned?

11. In case exotic germplasm was used in the derivation of the variety or hybrid, give details:

12. Details on the payment of application fee and Distinctness Uniformity Stability testing fee[9]:

Amount of fee: Rupees
(Rupees.....only)
Demand Draft Number and date:

Name of Bank and branch in which the Demand Draft is drawn:

[9] Applications from farmers, group of farmers and community of farmers submitted in accordance with the authentication specified under column 1 of this application are exempted from payment of Distinctness Uniformity Stability testing fee.

(Signature of the Applicant)

IndiaCode

DECLARATIONS

I/We hereby apply for the grant of registration of the candidate variety with the above said denomination and I/we am are conversant with the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 and Rules thereof related to this application.

I/We hereby declare that no person other than the person or persons mentioned in this application has been involved in the breeding, or discovery or development of the candidate variety.

I/We hereby declare that the candidate variety complies with the sub- section (3) of section 29 of Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Act, 2001.

I/We hereby declare that I/we have not applied for or received a trademark for the said denomination of the variety.

I/We hereby attach an affidavit in compliance with clause (C) of sub- section (1) of section 18 of Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001.

I/We hereby declare that the information given in this application for the registration of the above said candidate variety, including annexure and all supporting documents are complete, true and correct to the best of my/our knowledge, information and belief and no information has been wilfully concealed.

I/We hereby declare that I/We shall abide by all the provisions and guidelines of Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001.

Place: _____

Date: _____ Signature of Applicants[10]
Seal

[10]Wherever the applicants are more than one person each applicant has to sign. In the case of authorised application or application by assignees, such person(s) authorised or assigned shall sign

Following are the attachments (duly signed/seal) submitted along with the application (note that wherever signature is affixed in the application or attachments, all such signatures shall be in the original):

(a) complete application ;

(b) endorsement in Annexure 1 in the case of farmers' variety (vide column 1, if applicable);

(c) document of authorisation in Form PV-1 (if applicable) ;

(d) document of assignment in Form PV-2 (if applicable);

(e) documents in support of (b) and (d) as given above. (If applicable);

(f) affidavit that the Terminator Technology and the Genetic Use Restriction Technology is not involved;

(g) copy of document on filing date (vide column 8A, if applicable);

(h) copy of letter of agreement (vide column 10A, if applicable);

(i) technical Questionnaire for the Candidate variety (attached);

(j) if the applicants by virtue of succession or an assignment of the right to apply for registration attach a proof to show the right to application as stipulated in sub -section (3) of section 18 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001;

(k) in case of Convention Country applicant attach complete details on the variation in the important trait with respect to first filing as enclosure;

(l) in case of Convention Country applicant provide information whether the variety has been sold or otherwise disposed of within or outside the convention Country with details thereof;

(m) in case of transgenic relevant Genetic Engineering Approval Committee clearances and approvals; and

(n) Fees as applicable;

If felt necessary attach colour pictures of specific characteristics used for establishing distinctness. Please sign each page of the application and other document on the left margin.

ANNEXURE I

Endorsement of application for registration of farmers' variety under Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001

1. Name(s) of applicant farmer/ Group of farmers/Community of farmers

Serial Number	Name with surname/Name of Group/Name of Community	Permanent Address

2. Denomination of the candidate variety: _____

3a. (Applicable to individual farmer applicant)

I hereby declare that I have been a permanent cultivator since last many years in the village falling under the local body/Panchayat in the District of State and that I and my family are the initial and exclusive developers and conservers of the candidate variety denominated as, under the kind..... (Common name of crop) to the botanical species

3b. (Applicable to group/community of farmers applicant)

We hereby declare that we have been the permanent cultivators since last many years in the village(s) falling under the local body/ Panchayat(s) in theDistrict(s) of.State(s) and that we are the initial and exclusive developers and continuous conservers of the candidate variety denominated as under the kind. *(Common name of crop)* belonging to the botanical species..... We on behalf of our group/community hereby authorise..... s/o..... *(Name), who is a member of our group/community* and permanent resident of *(Complete postal address)* to do the needful and be the signatory on our behalf for the limited purpose of securing registration of the candidate variety in our favour under Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Act, 2001.

Dated.....

IndiaCode

Place.....

Signature and Name of the Farmer or
Authorised person of Group/Community
(To be signed before the endorsing official)

It is hereby certified that the above said candidate variety is bred / developed and continuously conserved and cultivated only by the applicant farmer / group of farmers / community of farmers who is / are permanent residents of above said village(s) and I am fully conversant with the applicant farmer / group or community of farmers and that the candidate variety is due to their efforts *(strike out unwanted words given as options)*.

Signature

Date

Name

Place

(Chairperson / Secretary of the Concerned Panchayat Biodiversity Management Committee OR Concerned District Agricultural Officer OR Director of Research concerned State Agricultural Universities OR Concerned District Tribal Development Office.
(With Official Rubber Stamp)

IndiaCode

FORM II

[See regulation 10]

APPLICATION FOR REGISTRATION OF ESSENTIALLY DERIVED VARIETY (EDV) UNDER PROTECTION OF PLANT VARIETY AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001.

[See section 28 of the Act.]

(Instruction to applicant: Wherever a box item appears against queries, please tick the relevant box and provide legibly written/typed response in other queries.)

1. Identity of the Applicant(s):

- ☐ INDIVIDUAL BREEDER
- ☐ SUCCESSOR OF BREEDER
- ☐ INSTITUTIONAL APPLICANT
- ☐ FARMER
- ☐ OTHERS[1]

[1] For material developed by participatory plant breeding, attach documeats to explicitly show the deal struck between farmer and plant breeder.

2. Name(s) and Nationality of Applicant(s)

(a.) (If natural person): [Insert additional rows, if required]

1. Serial Number. _____
2. Name[2] _____
3. Complete Address _____
4. Nationality _____

[2] If the applicant is the authorised representative of a group of farmers, an authorisation in Form PV-1 signed by all members of the group, or by the Head/office bearer of the community witnessed by the two people, if the identity of the applicant is Community of farmers' shall be attached.

(b.) (if a legal person; for example a firm or company or institution)

Name: _____

Address of its seat or establishment: _____

(Registered Office)

Year of Incorporation: _____

State whether the applicant legal person has non-Indian participation in capital or management:

☐ Yes ☐ No

If yes, identify the nationality (ies): _____

(c.) Indicate the name and address of the natural person, being an employee of the legal person, who is duly authorized to represent the legal person (example a director of a company or a partner of a firm):

Name: _____

Designation: _____

Address: _____

Telephone: _____

Fax: _____

E-mail: _____

3. Name and Address of the Person to whom Correspondence related to this application is to be sent (Attach authorisation in Form-PV-1, if required)

Name _____

Address _____

Pin _____

Telephone: _____

Fax: _____

E-mail: _____

4. General Information of the Essentially Derived Variety:

Common name of the Crop: _____

Botanical name [3]: _____

Family: _____

Denomination (in block letters): _____

[3] Botanical names mean the scientific name approved by the International Code for nomenclature of cultivated plants, 2004.

5.(a.) Type of Essentially Derived Variety

- ☐ TRANSGENIC
- ☐ MUTANT
- ☐ TISSUE CULTURE DERIVED
- ☐ BACK CROSS DERIVATIVE
- ☐ ANY OTHER (Ploidy Change etc)

IndiaCode

(b.) If transgenic attach copy of Genetic Engineering Approval Committee clearance and If the Essentially Derived Variety is a transgenic attach clearance on Bio-safety angle and Environment Department (GEAC) and related seed production permission (Give details)

6.(a.) Classification of the Candidate Variety:

☐ TYPICAL VARIETY[4]
☐ HYBRID VARIETY
☐ OTHERS (SPECIFY)

[4] Typical variety means a variety, which is not a hybrid or an essentially derived variety and normally propagated by using propagules saved from previous crop production cycles (Example: pure lines including parental lines, synthetic/composite varieties or vegetative propagated varieties).

(b.) What is (are) the Distinctness Uniformity Stability feature on the basis of which registration is sought. Explain in detail the group characters (see specific guidelines for details). Attach 'Technical Questionnaire' sheet with all needed details duly signed with seal.

(c.) Whether the authorisation of the breeder of initial variety has been taken

☐ Yes ☐ No

(d.) If yes please attach the copy of Authorisation:

7. Names and Addresses of Breeder(s) who has/have bred the candidate Essentially Derived Variety:

Name: _____

Address: _____

Telephone: _____

Fax: _____

E-mail: _____

Nationality: _____

[5] In case of more than one breeder, mention all names as (ii), (iii) and so on in the above format. If required insert extra page. In the case the variety is evolved and conserved by group or community of farmers, it shall be endorsed in Annexure I.

8.(a.) Details of all other earlier applications made on the candidate Essentially Derived Variety in convention countries or other countries (if applicable):

EDV denomination: _____

Nature of right applied for: ☐ Plant Breeder's Rights ☐ Patent

Filing Date (Attach evidence): _____

Name of Country: _____

Name of Authority: _____

Application Number: _____

Status of Application: ☐ Under process ☐ Approved ☐ Rejected

(If required, repeat the above for each applicable country and attach separate sheet)

(b.) Priority is now claimed in respect of the earliest application for an Essentially Derived Variety of said denomination (if applicable):

In (country): _____

On (date of application): _____

9. Has the Essentially Derived Variety been commercialised or otherwise exploited?

☐ Yes ☐ No

If yes, please indicate the following:

Date of the first sale of the Essentially Derived Variety: _____

Country of first sale of the Essentially Derived Variety: _____

Denomination used _____

Trademark used, if any: _____

10.(a.)If the candidate Essentially Derived Variety is a hybrid, state whether all the parental lines required for the repeated propagation of the hybrid are bred exclusively by the applicant(s):

☐ Yes ☐ No[6]

[6] If no, mention which of the parental lines are outsourced, whether letter of agreement is obtained for each of the outsourced protected parental lines in compliance with Section 30 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act and also provide following information on each of them:

Parental line (S):

Denomination[7]:

Source:

Authorisation letter obtained: ☐ Attached ☐ Not attached

[7] Denomination should not be altered from what was used at the source. Information on source may include name of breeder or institution or farmer or farming community who had bred and maintained the parental line. Repeat above information for additional applicable parental line.

(b.) If the candidate Essentially Derived Variety is a hybrid, state any Farmers' variety of common knowledge or in public domain is used as parental line for the repeated propagation of the hybrid:

☐ Yes ☐ No

If yes, give following details:
Denomination:

Geographical Source:

Details of Attribution (Origin):

Details of owner farmer/village community/Institution/Organisation:

(c.) If the candidate is an Essentially Derived Variety, state whether a variety registered under the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights, Act 2001 and notified in the Plant Variety of Journal of India has been used as the initial variety:

☐ Yes ☐ No

If yes provide

Denomination:

Geographical Source:

Details of owner farmer/village community/Institution/Organisation:

11. In case exotic germplasm was used in the derivation of the Essentially Derived Variety or hybrid give details:

12. Details on the payment of application fee and Distinctness Unifomality Stability testing fee[8]:

Amount of fee: Rupees

(Rupees.....only)

Demand Draft Number and date:

Name of Bank and branch in which the Demand Draft is drawn:

[8] The Distinctness Uniformity Stability testing fee for Essentially Derived Variety will be fixed based on the tests to be conducted but will not be less for what has been fixed for varieties under application-I.

(Signature of the Applicant)

IndiaCode

DECLARATIONS

I/We hereby apply for the grant of registration of the candidate Essentially Derived Variety with the above said denomination and I am/we are conversant with the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 and Rules thereof related to this application.

I/We hereby declare that no person other than the person or persons mentioned in this application has been involved in the breeding, or discovery or development of this Essentially Derived Variety denomination.

I/We hereby declare that the candidate Essentially Derived Variety complies with the sub - section (3) of section 29 of Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001.

I/We hereby declare that I/we have not applied for or received a trademark for the said denomination of the Essentially Derived Variety.

I/We hereby declare an affidavit in compliance with clause (c) of sub -section (1) of Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 is attached.

I/We hereby declare that the information given in this application for the registration of the above said candidate Essentially Derived Variety, including annexure and all supporting documents are complete, true and correct to the best of my/our knowledge, information and belief and no information has been wilfully concealed.

I/We hereby declare that terminator technology (TT) or Genetic Usage Restrictive Technologies (GURTS) or such ones are not there in this material submitted for registration.

I/We hereby declare that I/We shall abide by all the provisions and guidelines of Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001.

Place: _____

Date: _____ Signature of Applicants[9]

[9] Wherever the applicants are more than one person each applicant has to sign. In the case of authorised application or application by assignees, such person(s) authorised or assigned shall sign

Following are the attachments submitted along with each of the three copies of the application (note that wherever signature is affixed in the application or attachments, all such signatures shall be in the original):

(a) complete application;

(b) endorsement in Annexure 1 in the case of farmers' Essentially Derived Variety (vide column 1, if applicable);

(c) document of authorisation in Form PV-1 (if applicable);

(d) document of assignment in Form PV-2 (if applicable);

(e) documents in support of (b) and (d) as given above (if applicable);

(f) affidavit that the Terminator Technology and the Genetic Use Restriction Technology is not involved;

(g) copy of document on filing date (vide column 8A, if applicable);

(h) copy of letter of agreement (vide column 10A, if applicable);

(i) technical Questionnaire for the Candidate variety (attached);

(j) If the applicants by virtue of succession or an assignment of the right to apply for registration attach a proof to show the right to application as stipulated in sub section (3) of section 18 of Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001; and

(k) Fees as applicable.

If felt necessary attach colour pictures on the distinctness and other traits. Please sign each page of the application and other document on the left margin

IndiaCode

ANNEXURE 1

Endorsement of application for registration of farmers' Essentially Derived Variety under Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001

1. Name(s) of applicant farmer/ Group of farmers/Community of farmers

Serial Number	Name with surname/Name of Group/Name of Community	Permanent Address

2. Denomination of the candidate variety: _____

3A. (Applicable to individual farmer applicant)

I hereby declare that I have been a permanent cultivator since last many years in the..... village falling under the.Local body/Panchayat in the District ofState and that I and my family are the initial and exclusive developers and conservers of the candidate variety denominated as under the kind.....(common name of crop) belonging to the botanical species

IndiaCode

3B. (Applicable to group/community of farmers applicant)

We hereby declare that we have been the permanent cultivators since last many years in the village(s) falling under the.Local body/Panchayat(s) in the District(s) of.State(s) and that we are the initial and exclusive developers and continuous conservers of the candidate variety denominated as under the kind(common name of crop) belonging to the botanical species We on behalf of our group/community hereby authorise..... s/o (name),who is a member of our group/community and permanent resident of.....(complet e postal address) to do the needful and be the signatory on our behalf for the limited purpose of securing

registration of the candidate variety in our favour under Protection of Plant Varieties and Farmers Right's Act,2001.

Dated:

Place.....

Signature and

Name of the Farmer or

Authorised person of Group/Community

(To be signed before the endorsing official)

It is certified that the above said candidate Essentially Derived Variety is bred/developed and continuously conserved and cultivated by the applicant farmer/group of farmers/community of farmers who is/are permanent residents of above said village(s) and I am fully conversant with the applicant farmer/group or community of farmers and the candidate variety (strike out unwanted words given as options).

IndiaCode

Signature:

Date

Name :

Place

(Chairperson / Secretary of the Concerned Panchayat Biodiversity Management Committee OR Concerned District Agricultural Officer OR Director of research, Concerned State Agricultural Universities OR Concerned District Tribal Development Officer)

(Official Rubber Stamp)

Technical Questionnaire

1 Name of the Applicant/breeder/company: -

2 Year of Establishment: -

3 If registered company under Company's Act 1956 (Give details):

4 Location of corporate office and address: -

5 Tel/fax/e-mail: -

IndiaCode

6 Name of candidate variety:-

(a) Has it been released in any Convention Country earlier

☐ Yes ☐ No

If yes give complete details in column number 13

(b) Pedigree/genealogy: -

(Include schematic diagram giving details of varieties, lines, or clones used in the breeding of candidate variety)

(c) Breeding of Candidate Variety

(i) Origination **(Tick the correct one)**

Controlled pollination / open pollination / induced mutation / spontaneous mutation / introduction / selection / seedling selection / any other (specify)

(ii) Parental material (name of the parental material, characteristics of the parental material, distinguishable from the candidate variety). If the variety was developed by selection, then the number of selection cycles completed before fixing it.

(iii) Breeding technique/procedure used

IndiaCode

(iv) Selection criteria used

(v) Stage of selection and multiplication

(vi) Location where breeding was conducted

7 Particulars of comparative trial conducted by the applicant, if any.

Information on the location, place, period and year/month of comparative trial conducted method of cultivation such as open field, facilities, planting, potting etc., scale of cultivation, reference varieties used, criteria for choice of the reference varieties, design of experiment, method of analysis of variance experimental error where applicable, and other details.

NOTE: Applicant may, furnish data, tables, copy (ies) of publication(s) related to the details of breeding, comparative trialand comparative data in addition to table of characteristics of candidate and reference varieties. This information

IndiaCode

provided under this item will not be published by the Authority but will be used to facilitate examination of candidate variety.

8 Characteristics of the candidate variety

Please describe characteristics of the variety in the subheadings: Plant, Stem, Leaf, Inflorescence, Flower and flower parts, Fruit and fruit parts, Seed etc. Describe characters within subheadings generally in the following order: habit, height, length, width, size, shape, colour (RHS colour chart reference with edition). Refer the specific guideline wherever necessary for clarity of description.

IndiaCode

(a) (i) Give group characters.

(a) (ii) Distinguishing characteristics (descriptive or elaborate)

(b) Table of characteristics between candidate denomination and reference variety

Please give replicated values for all of its distinguishing and other description for important characteristics along with the corresponding average values of

the references varieties.

NOTE: Two or more reference varieties should be compared with the candidate variety in the characteristics table, including one deemed to be the most similar variety and other(s) as obvious/similar as possible. If you provide this information it will facilitate the Authority in their DUS test further in examination of the candidate variety.

Characteristics	Characteristics value of candidate variety ()									Remarks Measured values etc.	Characteristic value of reference variety	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		()	()

9 Characteristics of the reference varieties

(a) Most similar variety

(i) Denomination

(ii) Basis of choice of this variety for comparison

(iii) Distinguishable Characteristics

(b) Other reference variety

(i) Denomination

(ii) Basis of choice of this variety for comparison

IndiaCode

(iii) Distinguishable Characteristics

10 Statement of distinctness of candidate variety

Please give a distinctness statement covering a brief summary of the characteristics that distinguish the candidate variety from all varieties of common knowledge. The distinctness statement should include, (i) names of reference variety (ies) that have been observed most similar to the candidate variety, and (ii) salient comparison for major distinguishing characteristics between the candidate variety and the similar/reference variety (ies).

11 Statement on uniformity and stability of candidate variety

Please give a brief statement describing any variation in the variety that may be regarded as part of its normal uniform or stable expression, which is predictable, capable of being described in clear terms and commercially acceptable. This should include description and frequency of any off-types, variants or mutations. In your opinion what should be the frequency of off-types or any other describable variation beyond which the candidate variety shall be deem to be non-uniform. Also please point out which are the traits that may be particularly referred to as indicators to determine an unstable expression of the phenotype of candidate variety.

IndiaCode

12 Methods for maintaining the candidate variety

Please provide in a brief statement as to how the propagating material will be maintained throughout the duration of the plant breeder's right, and complete address where the variety will be maintained. This should include status of varieties that are not propagated by seeds including place and method of maintenance and storage of their vegetative material.

NOTE: The holder of a plant breeder's right is responsible for ensuring that propagating material representative of the variety is maintained for the duration of the right.

13 Information on variety registered in Convention Countries.

a. What were the grouping characters in that application for this candidate variety?

(i) _____

(ii) _____

(ii) _____

(iii) _____

(iv) _____

(v) _____

(vi) _____

(vii) _____

(viii) _____

(ix) _____

b. What was the Distinctness Uniformity and Stability parameter on which it was registered?

(i) _____

(ii) _____

(iii) _____

(iv) _____

(v) _____

(vi) _____

(vii) _____

(viii) _____

(ix) _____

(x) _____

c. What is the variation in important trait with respect to first filing and the present one (Attach photograph)?

IndiaCode

d. Has the Variety been withdrawn in the first filed country from cultivation or banned or from any of the subsequently released country?

e. If so, the reasons (supplement with information)?

I/We hereby declare that no person other than the person or persons mentioned in this application has been involved in the breeding, or discovery or development of this denomination.

Date Signature

Signature of Witness and Address _____

Designation of the Breeder/Company with seal

IndiaCode

The breeder/company should sign with date each page of the Technical Questionnaire.

[No. _____]

(_____)

FORM – 1A

FORM FOR AUTHORISATION

(See regulations 13 (1) and 13 (6) (1))

TO WHOM IT MAY CONCERN

I/We..... the registered breeder of the seeds / propagating material having certificate No....., and having denomination No....., do hereby confer the following rights onr/o (Please tick whichever is applicable):-

a. Right to Produce
b. Right to Sell
c. Right to Market
d. Right to Distribute
e. Any such right as written below-

.....

IndiaCode

The rights being conferred under this Instrument of Authorization under sub-section (2) of section 28 of the Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Act, 2001 shall, however, be subject to the following terms and conditions:-

(1) Term

The Term of this Authorization shall be for a period ofonly, subject to renewal at the full discretion of the registered Plant breeder.

(2) Revision

This instrument of Authorization is subject to any modification/revision at any time during the term of authorization mentioned under clause (1) by the registered Breeder mentioned hereinabove.

(3) Territory

The rights and obligations conferred or created by this Instrument of Authorization shall be construed to be operating and valid only within the territory of (specify the geographical area) and not beyond the territories mentioned herein.

(4) Termination

This Instrument of Authorization can be terminated / cancelled at any time at the sole discretion of the registered breeder. The instrument of Authorization shall be terminated within the term mentioned under clause (1) of this instrument if the person so authorized violates any section of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 and the Rules framed therein.

(5) Single Instrument

This Instrument of Authorization shall be considered as the only instrument as far as the rights authorized or created herein by the registered breeder names herein-above under sub-section (2) of section 28 of the Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Act, 2001 are concerned and no other Instrument, if any, shall not prevail over this terms and conditions of this Instrument.

(6) No inheritance

The acts or rights authorized or created by this Instrument of Authorization shall not deemed to be inheritable and hence, in case of death/insolvency/winding up of the person (s) authorized herein, this Instrument of Authorization shall be deemed to have been terminated.

IndiaCode

Sd/-

(Name of the Registered Plant Variety Breeder)

Witnesses:

(a)

(b)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.